ज़मीनी अध्ययन पर आधारित एक रिपोर्ट

आधुनिक हिमाचल के अदृश्य निर्माता

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति

सितंबर 2020

हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सॉलिडेरिटी

हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सॉलिडेरिटी द्वारा प्रकाशित, सितंबर 2020

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
ईमेल: hp-workers-solidarity@riseup.net
ट्विटर: @HpWorkers

यह रिपोर्ट उन सभी प्रवासी मज़दूरों को समर्पित है जो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जिन्हें कोविड-19 संकट के बाद घोषित लॉकडाउन ने और भयावह रूप से प्रभावित और वंचित किया है। जिनका जीवन संघर्ष दिन प्रतिदिन जारी है।

विषय सूची

1. हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सोलिडेरिटी : परिचय 06

2. अर्थव्यवस्था के अदृश्य निर्माता 10

2.1. देश में प्रवासी मज़दूर 10

2.2. हिमाचल में प्रवासी मज़दूर -एक परिचय 12

3. लॉकडाउन और प्रवासी मज़दूर 20

3.1. अवलोकन 20

3.2. क्या हुआ बीते कुछ महीनों में प्रवासी मज़दूरों के साथ? 21

3.3. प्रवासी मज़दूरों को प्रभावित करने वाले केंद्र सरकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का घटनाक्रम 22

3.4. क्या रही सुप्रीम कोर्ट कि भूमिका? 25

4. मज़दूर क्यों मजबूर? 28

4.1 राज्य की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण के चलते उभरती समस्याएँ 28

4.2 केस स्टडी 39

5. आगे की राह 44

5.1. कहाँ हैं आज प्रवासी मज़दूर और क्या है भविष्य की चुनौतियाँ? 44

5.2. भविष्य के लिए कुछ प्रस्ताव 46

1. हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सोलिडेरिटी : परिचय

कोरोना संकट के चलते, लॉकडाउन की घोषणा के कुछ समय बाद से ही हिमाचल के अनेक जन संगठनों व चिंतित नागरिकों को राज्य में फंसे प्रवासी मज़दूरों के फोन कॉल प्राप्त होना शुरू हुए और अनेक संगठनों व नागरिकों ने निजी स्तर पर राहत कार्य भी शुरू किया। समय के साथ समस्याओं की वृद्धि पर, राज्य के श्रमिकों व प्रवासी मज़दूरों के समर्थन में एक साझे मंच की आवश्यकता समझते हुए, हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सोलिडेरिटी (HPWS) कि प्रक्रिया आरम्भ हुई।

हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सॉलिडेरिटी, वालंटियर्स द्वारा गठित एक खुला समूह है जिसमें समाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, यूनिवर्सिटी छात्र, शोधकर्ता, अध्यापक, ज़िला परिषद सदस्य जैसी विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग जुड़े हुए हैं। HPWS ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों के संबंध में यह कार्य किये:

- सरकारी राहत व प्रशासनिक सुविधाओं तक पहुँच को सहज करना
- राशन, आर्थिक व अन्य राहत सुविधा मुहैया करवाना
- जानकारी का विकेंद्रीकरण और प्रसार
- हेल्पलाइन सेवा
- घर वापस लौटने के संबंध में मज़दूरों का पंजीकरण
- मज़दूरों के मुद्दों को लेकर पत्राचार, जन-वकालत, राजनैतिक दबाव बनाना
- प्रशासन व सरकार (नोडल अधिकारियों) के साथ समन्वय
- जन संगठनों के साथ समन्वय

जिन प्रवासी मज़दूरों द्वारा हमें संपर्क किया गया उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, नेपाल से आये लोग मुख्य रूप से शामिल थे। अगर हिमाचल में क्षेत्रवार देखें तो सर्वाधिक संपर्क सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र में फंसे प्रवासी मज़दूरों ने किया जिसके बाद ज़िला कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर रहे। कार्य-अवधि के दौरान HPWS का सम्पर्क (डिस्ट्रेस काल्स, सहायता काल्स के माध्यम से) लगभग 2000 प्रवासी मज़दूरों के साथ हुआ। संपर्क के दौरान जिस विश्वास और तत्परता के साथ लोगों ने HPWS के साथियों से अपनी समस्याएं, अनुभव, कहानियाँ साझा की उससे हमारे कार्य को गतिशीलता और स्पष्टता मिली। हम यह मानते हैं कि हमारी भूमिका और क्षमताएँ इस संकट की विशालता के आगे बहुत छोटी थी परन्तु जागरूक नागरिक होने के नाते यह प्रतिक्रिया नैतिक रूप से अवाश्यक थी तथा अपने समाज के बारे में सीखने-समझने का मौक़ा भी।

मज़दूरों के समर्थन में हिमाचल और देश स्तरीय सभी व्यक्तियों, बुद्धजीवियों, नागरिक व जन संगठनों के द्वारा किये गये प्रयास हमारे लिए लगातार प्रेरणा का स्रोत रहे। हिमाचल में मज़दूरों के समर्थन में कार्यरत हर व्यक्ति और संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है - चाहे आर्थिक अंशदान, मीडिया में मुद्दे उठाने, सरकार के सामने मांग पत्र रखने या फिर राहत सामग्री वितरण के रूप में हो। उन ख़ास अधिकारियों और सरकारी कर्मियों का ज़िक्र भी ज़रूरी है जो इस गहन संकट और आपात काल की स्थिति में अपना दायित्व संवेदनशीलता और मानवीयता के साथ निभाते रहे।

बीते कुछ महीनों के हमारे आपसी संवाद, अनुभवों और आंकलनों के विश्लेषण तथा दस्तावेजीकरण की ज़रुरत से एक अध्ययन रिपोर्ट निकालने का विचार सामने आया। इस विश्लेषण की प्रक्रिया में यह समझ में आया कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी मज़दूरों के संकट की व्यापकता और विषमताओं, मूल कारणों और भविष्य में इसके प्रभाव को एक दस्तावेज़ में समेटना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तो यह संकट और इसके प्रभाव जारी हैं। साथ ही प्रवासी मज़दूरों से संबंधित आंकड़ों और हिमाचल के ही अलग-अलग क्षेत्रों में इस समुदाय के साथ नियमित संपर्क की कमी के कारण पूर्णत विश्लेषण कठिन रहा। परन्तु यह रिपोर्ट न

तो कोई शैक्षिक अनुसंधान है और न किसी सर्वे आधारित शोध का परिणाम।

यह रिपोर्ट HPWS द्वारा किये गए कार्यों के दौरान के अनुभवों और स्थिति की समझ का साझा आकलन है जिसका उद्देश्य मज़दूरों की आवाज़ों और चिंताओं को उजागर करना है। यह रिपोर्ट हिमाचल में असंगठित क्षेत्र के प्रवासी कामगारों की लॉकडाउन के दौरान की व्यथा, अनुभवों और गवाही का संकलन है। मज़दूरों व प्रवासी कामगारों के संदर्भ में केंद्र व राज्य व्यवस्था की नीतियों तथा प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करते हुए यह रिपोर्ट आगे आने वाले समय में सरकारों की भूमिका और योजनाओं के लिए कुछ प्रस्ताव उल्लेखित करती है। कोविड-19 संकट में उजागर हुए प्रवासी मज़दूर संकट से उभरी अनगिनत चर्चाओं पर कई रिपोर्ट, अध्ययन, लेख, वीडियो आदि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख इस रिपोर्ट में भी किया गया है।

हमें उम्मीद है कि यह अध्ययन रिपोर्ट सरकार, नीति निर्माताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, शोधकर्ताओं, जन संगठनों और अन्य लोगों के लिए उपयोगी रहेगी और इससे कोविड -19 के अनलॉक के दौर में, प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं के प्रति जागरूकता, सवेंदंशीलता और समर्थन को बल मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सोलिडेरिटी के सदस्य:

- अजय कुमार
- अदिति वाजपेयी
- बालक राम
- फ़ातिमा चप्पलवाला
- गगनदीप सिंह
- हिमशी सिंह
- मानशी अशर
- प्रकाश भण्डारी
- रंजोत कौर
- रीतिका ठाकुर
- सुखदेव विश्वप्रेमी
- सुमित महर
- उपकार सिंह

फोटो आभार: प्रेणना नायर

2. अर्थव्यवस्था के अदृश्य निर्माता

2.1. देश में प्रवासी मज़दूर

वैश्विक संकट कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों की तरह भारत में भी लॉकडाउन प्रणाली को अपनाया गया, परन्तु भारत के संदर्भ में देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा बिना किसी पूर्व सूचना और व्यवस्था के 24 मार्च 2020 को कर दी गयी। कोविड-19 की पकड़ से परे, इस दौर ने हमारी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को उजागर करते हुए भारत का एक भयावह, विषम और दर्दनाक चित्र हम सबके सामने ला खड़ा किया।

जब लाखों-करोड़ों की संख्या में देश के अनेक लोग और उनका हजूम, बोरी- बिस्तर उठाये, महिलाओं-बच्चों-बुजुर्गों संग, धूप और भूख से त्रस्त, सड़कों, हाइवे, रेलवे पटरियों पर मीलों की दूरी पैदल तय करते दिखाई दिए तो हर किसी के मन में यह सवाल उठा कि बाढ़ की तरह उमड़ता यह कैसा सैलाब है? कौन हैं यह लोग? ऐसी क्या आन पड़ी इन पर जो इस महामारी के दौर में यह लोग चल रहे हैं? क्या इन्हें महामारी का भय नहीं? कहाँ जा रहें हैं ये? क्या है इनकी कहानी?

प्रचलित भाषा में जिन्हें हम प्रवासी मज़दूर के रूप में जानते हैं, ***भारतीय समाज का सबसे बड़ा वर्ग और अर्थव्यवस्था की नींव हैं।*** प्रवासी मज़दूर अक्सर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन समुदाय व मुस्लिम समुदाय से होते हैं। सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त, आर्थिक ढाँचे द्वारा दमित, मौजूदा वंचनाओं व सामाजिक-आर्थिक असुरक्षायों से दूर, अपने और अपने परिवार के गुज़र-बसर और एक गरिमा पूर्ण जीवन की उम्मीद में प्रवासी मज़दूर अपने घर से दूर पलायन करते हैं।

प्रवासी मजदूर कौन हैं?

पलायन से अर्थ है अपने स्थायी या आम तौर पर माने जाने वाले निवास स्थान से किसी अन्य जगह के ओर आवाजाही करना जिसे सीमाओं के अनुसार आतंरिक (देश के भीतर) और अंतराष्ट्रीय पलायन के रूप में समझा गया है. लोगों के पलायन करने के अनेक कारण होते हैं जैसे रोज़गार, शिक्षा, शादी, व्यवसाय, नौकरी आदि और इनको प्रवासी के रूप में जनगणना में दर्ज करा जाता है। लेकिन प्रवासी और प्रवासी मजदूर में अंतर हैं, इसलिए प्रवासियों के आंकड़ों को प्रवासी मजदूर के आंकड़ें नहीं माना जा सकता। प्रवासी मजदूर से अर्थ है मज़दूरी या श्रमिक कार्यों के लिए पलायन करने वाले वंचित समूह के लोगों से।

आतंरिक पलायन को कई आधारों पर अलग अलग रूप से समझा गया है जिसमें[1]:

- क्षेत्र के आधार पर (कहाँ से कहाँ को) ग्रामीण-शहरी या अंतर और आंतर राज्य की श्रेणियां हैं तथा
- समय अवधि के आधार पर अस्थायी (सीज़नल) और स्थायीं (लम्बे समय के लिए) की।

गौर करने वाली बात है कि मजदूर वर्ग को भी अक्सर एक समान स्तर पर देख जाता है जबकि यह समुदाय भी खुद में वर्गीकृत है – संगठित तथा असंगठित (इनफॉर्मल) क्षेत्रों में या कुशलताओं और कार्यों के हिसाब से भी।

इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर उन असंगठित प्रवासी मजदूरों की स्थितियों और समस्याओं का उल्लेख है जो अपने स्थायी (गृह) राज्य से पलायन कर दुसरे राज्यों (इस सन्दर्भ में हिमाचल) में मजदूरी और काम करते हैं और जिन्हें लॉकडाउन के समय सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा।

एक अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा प्रवासी मज़दूर हैं जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था (जी.डी.पी) में लगभग 50% योगदान है[2]। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 31.45 करोड़ लोग प्रवासी के रूप में दर्ज हुए थे, जिसमें 14.25 करोड़ लोग प्रवासी मज़दूर[3]। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की संख्या बढकर 45.58 करोड़ हो गई और प्रवासी मजदूरों की संख्या 19.40 करोड़ हो गयी[4]। गौर तलब है की 2001 और 2011 के बीच, जहाँ देश की जनसंख्या में 18% की वृद्धि हुई, वहीँ प्रवासियों की संख्या में 45% की वृद्धि हुई है। यह हास्यापद है की लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय ने RTI के तहत साझा की गई जानकारी में कहा कि, "देश भर में 26 लाख प्रवासी श्रमिक हैं"[5]।

टेबल-1: देश में प्रवासियों का जनगणना अनुसार आर्थिक वर्गीकरण (करोड़ में)

जनगणना	कुल प्रवासी	कुल प्रवासी कामगार		कुल गैर कामगार	
		मुख्य कामगार	सीमांत कामगार	गैर कामगार	जो काम ढूँढ रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं
2001	31.45	10.06	4.21	15.74	1.44
2011	45.58	13.91	5.49	23.51	2.67
10 सालों में वृद्धि (%)	**45%**	**38%**	**30%**	**49%**	**85%**

• *अगर अंतर राज्य प्रवासी मजदूरों की जनसँख्या की बात करें तो 2001 की जनगणना अनुसार वो 1.96 करोड़ थी जो की कुल प्रवासी कामगारों की संख्या का 14% के करीब है।*

टेबल-2: देश में आंतर राज्य और अंतर राज्य प्रवासी कामगारों की संख्या (करोड़ में)

जनगणना	कुल प्रवासी कामगार	आंतर राज्य	अंतर राज्य
2001	14.27	12.31	1.96
2011	19.40	16.74	2.66
(जनगणना 2011 में प्रवासी कामगारों का राज्य वार डेटा नहीं है इसलिए 2001 की जनगणना में जो प्रतिशत है उसी से 2011 के अनुमान लगाये हैं)			

एक प्रवासी के रूप में, नीति-नियम व प्रशासकीय प्रक्रियाओं, स्थानीय निवासियों को प्राप्त अधिकारों, जन सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में इन मज़दूरों की वंचना ऐसे हुयी है मानो ये दोयम दर्जे के नागरिक हों[6]। राजनैतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, अपर्याप्त आवास सुविधाएँ व औपचारिक रिहायशी अधिकारों का अभाव, कम आय वाले असुरक्षित या खतरनाक कार्य, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली जन सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा तक सीमित पहुंच, तथा जाति, धर्म, वर्ग या लिंग आधारित भेदभाव जैसी अनेक समस्याएं प्रवासी मज़दूरों की मौजूदा स्थिति को और जटिल करती है[7]। राज्य तंत्र और पूंजीवादी ढांचों की उदासीनता और निष्ठुरता के बीच एक ओर समाज इन लोगों को प्रतिदिन देखते हुए भी भूल जाता है, दूसरी ओर राज्य व्यवस्था सवैंधानिक सिद्धांतों की अवहेलना कर, इनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है।

जन गणना और प्रवासी मजदूरों के आंकड़ें

1. अगर 2011 कि जनगणना को देखें तो जो प्रवासी मज़दूर और खेत मज़दूर के आंकड़े हैं वो सेन्सस ऑफ़ इंडिया ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए। यह आंकड़ें जनगणना में टेबल D-8 व D-9 में होते हैं।
2. 2011 जनगणना में जो प्रवासी मजदूर हैं वो किस राज्य से पलायन कर के आये हैं यह जानकारी और आंकड़ें स्पष्ट नहीं।
3. टेबल D-3 जहाँ पलायन के आंकड़ों को पलायन के कारण वार उल्लेख करता है वहीँ टेबल- D-6 में आर्थिक गतिविधि के हिसाब से पलायन के आंकड़ों को दिया गया है।
4. टेबल- D-6 में मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और गैर कामगार शामिल है।
5. टेबल D-3 में शादी पलायन के एक कारण के रूप में दर्ज हैं लेकिन कई महिलाएं जो शादी करके पलायन करतीं हैं उनमें से कई मजदूरी भी करती हैं लेकिन यह आंकड़ें भी नहीं दिखाई देते हैं।

: डॉ समीक चौधरी, सहायक प्रोफेसर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, द्वारा विश्लेषित

2.2 हिमाचल में प्रवासी मज़दूर - एक परिचय

पहाड़ और पलायन

पलायन के संदर्भ में जब भी पहाड़ी राज्यों का जिक्र होता है तो आम तौर पर हमारे सामने पहाड़ से मैदानी इलाक़ों की ओर होते पलायन की छवि उभरती है। पहाड़ी इलाकों की कठिन व दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और नकदी आय के सीमित अवसर से जनित पलायन आधुनिक दौर का एक सच है। लेकिन हिमाचल में बुनियादी सुविधाओं के विकास के चलते राज्य से बाहर को मजबूरी में होने वाला पलायन का दर शायद पड़ोस के राज्य उत्तराखंड जैसा व्यापक नहीं है, जहां गाँव के गाँव आज खाली हो कर उजड़ने की कगार पर हैं। फिर भी हिमाचल के सन्दर्भ में देखें तो उच्च शिक्षा, शादी और रोज़गार के अवसरों के लिए यहाँ से लोग अधिकतर चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली जैस शहरों की तरफ पलायन करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन गणना के आंकड़े ये बताते हैं कि 1991 के बाद राज्य में आने वाले प्रवासियों की मात्रा काफी तेज़ी से बढ रही है और 2001 की जन गणना के आंकड़े यह भी बताते हैं कि राज्य से बहार पलायन करने वालों का दर कम है और दूसरे राज्यों से हिमाचल में पलायन करने वालों का दर ज्यादा है[8]।

हिमाचल में होने वाले पलायन के आंकड़े

नीचे दिए गये टेबल 3 के अनुसार 2011 जनगणना में हिमाचल में कुल 26.47 लाख लोगों ने विभिन्न कारणों के लिए पलायन किया चाहे हिमाचल के भीतर से (आंतर), किसी और राज्य से हिमाचल में (अंतर) और किसी अन्य देश से हिमाचल में। नीचे दिए चार्ट 1 से पता चलता है कि इनमें से 3.95 लाख प्रवासी अन्य राज्यों से विभिन्न कारणों से हिमाचल आये जिसमें काम या रोजगार के सिलसिले में जो आये उनकी संख्या 1.09 लाख थी।

टेबल 3: 2011 जनगणना की टेबल D-3 अनुसार हिमाचल में आने प्रवासियों का ब्यौरा (लाख में)

पलायन	प्रवासी	काम या रोजगार	अन्य कारण
अंतर देशीय	0.68	0.28	0.40
आंतर राज्य	21.84	1.59	20.25
अंतर राज्य	3.95	1.09	2.86
कुल	26.47	2.96	23.51

यदि ऊपर दिए टेबल की कुल (अंतर व आंतर) प्रवासी कामगारों की संख्या देखें तो यह केवल 2.96 लाख है। जबकि नीचे दिए गये (टेबल-4) उसी जनगणना 2011 के D6 टेबल पर आधारित आंकड़ों के अनुसार प्रवासी कामगारों की संख्या 15.70 लाख नज़र आती है और इसमें अगर गैर कामगार जो काम ढूंढ रहे हैं उनकी संख्या जोड़ दें तो 17.09 लाख है। इस बड़े फर्क का मुख्य कारण है कि कुल (अंतर व आंतर) प्रवासी कामगारों के आंकड़े में लगभग 73% हिस्सा महिलाओं का है जिनको D3 टेबल में 'शादी' के कारण प्रवास में दर्ज किया गया है जबकि जब कामगारों की गिनती होती है तो फिर यह आंकड़ा सामने आ जाता है।

हालांकि यह रिपोर्ट अंतर राज्य प्रवासी मजदूर पर केन्द्रित है परन्तु 2001 की जनगणना में देश के स्तर पर प्रवासी कामगारों की जानकारी है लेकिन यह जानकारी राज्यवार नहीं है और 2011 की न तो देश न राज्य स्तर पर उपलब्ध है।

चार्ट 1: 2011 जनगणना अनुसार हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों का कारण वार ब्यौरा (लाख में)

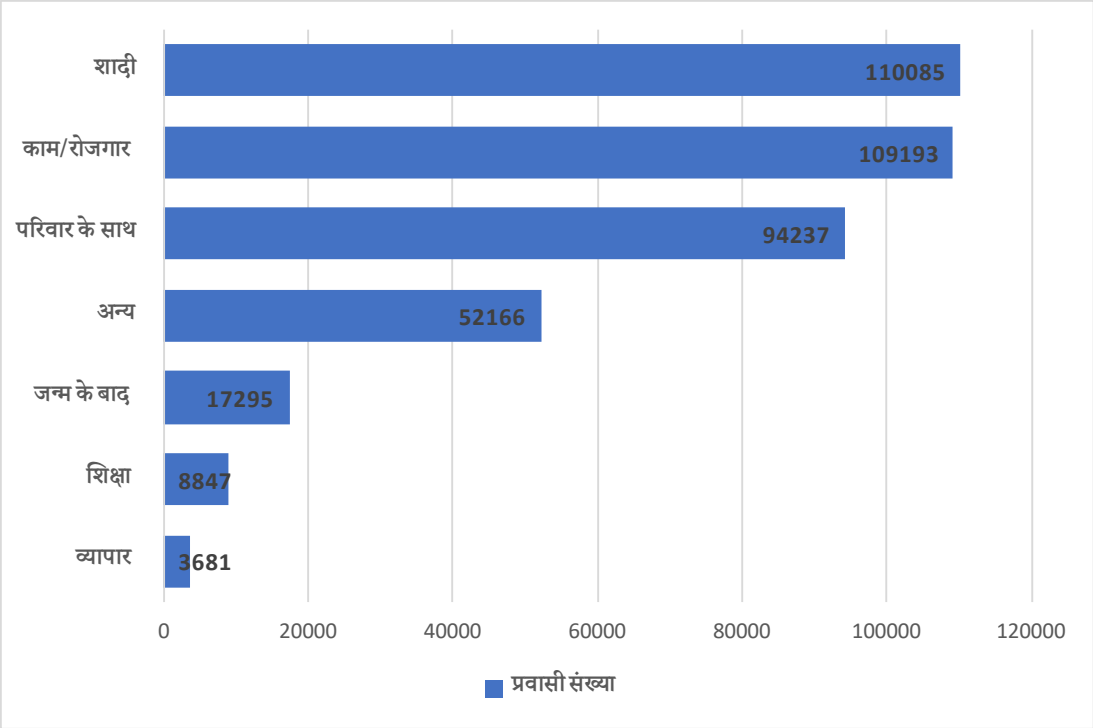

इसलिए हिमाचल में राज्य के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए D-3 में दिए गए कुल प्रवासियों में से अंतर राज्य प्रवासी का अनुपात का इस्तेमाल किया है। **इस अनुमान के अनुसार हिमाचल में अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों की कुल संख्या 2011 में लगभग 2.60 लाख के करीब थी और इसमें अगर (जनगणना 2011) में 50 हजार के करीब नेपाली मजदूरों का आंकड़ा जोड़ दें तो यह संख्या 3.10 लाख हो जाती है। यह संख्या हिमाचल जैसे छोटे राज्य जिसकी आबादी 2011 में 68.6 लाख थी का 4.5% प्रतिशत है।**

टेबल-4: जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल के प्रवासियों का आर्थिक वर्गीकरण (लाख में)
(टेबल D-6 के अनुसार)

जनगणना	कुल प्रवासी	प्रवासी कामगार		कुल गैर कामगार प्रवासी	
		मुख्य कामगार	सीमांत कामगार	जो काम ढूँढ रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं	गैर कामगार
2001	21.92	8.44	5.38	0.73	7.37
2011	26.47	8.42	7.29	1.39	9.37
वृद्धि (%)	**21%**	**-0.24%**	**35%**	**90%**	**27%**

हिमाचल में राज्य के बाहर से प्रवासी मजदूर और उनके आजीविका के साधन

अपने मौसम, शांत वातावरण, काम की मौजूदगी और अन्य राज्यों से बेहतर कही जाने वाली मज़दूरी के कारण प्रवासी मज़दूरों के लिए यह राज्य एक उभरता केंद्र है। 1970-80 के दशकों से शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की शुरूआत हुई, औद्योगिक केंद्र बनने शुरू हुए, बहु-स्तरीय विकास परियोजनाओं व निर्माण कार्यों ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया, साथ ही खेती के बदलते रूप के चलते व्यावसायिक खेती और सेब-बाग़वानी में बढ़ते स्थानीय रुझान व पर्यटन पर आश्रित अर्थव्यवस्था के कारण रोज़गार की उम्मीद में यहाँ प्रवासी मज़दूरों का पलायन भी बढ़ा।

प्रदेश में आने वाले प्रवासी मज़दूर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार (औद्योगिक इकाइयों /टूरिज़्म/मिस्त्री-निर्माण कार्य), नेपाल, उत्तराखंड (बागवानी–खेती), झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान (निर्माण कार्यों/ परियोजनाओं), कश्मीर (सामान ढोना, व्यापार) आदि राज्यों से होते हैं। अगर 2011 के आंकड़ें देखें तो राज्य में आने वाले प्रवासी मज़दूरों में 45% पुरुष हैं और 55 % महिला हैं।

***चार्ट 2:** हिमाचल के अन्दर आने वाले प्रवासियों का राज्यवार हिस्सेदारी (टेबल D-3 पर आधारित)*

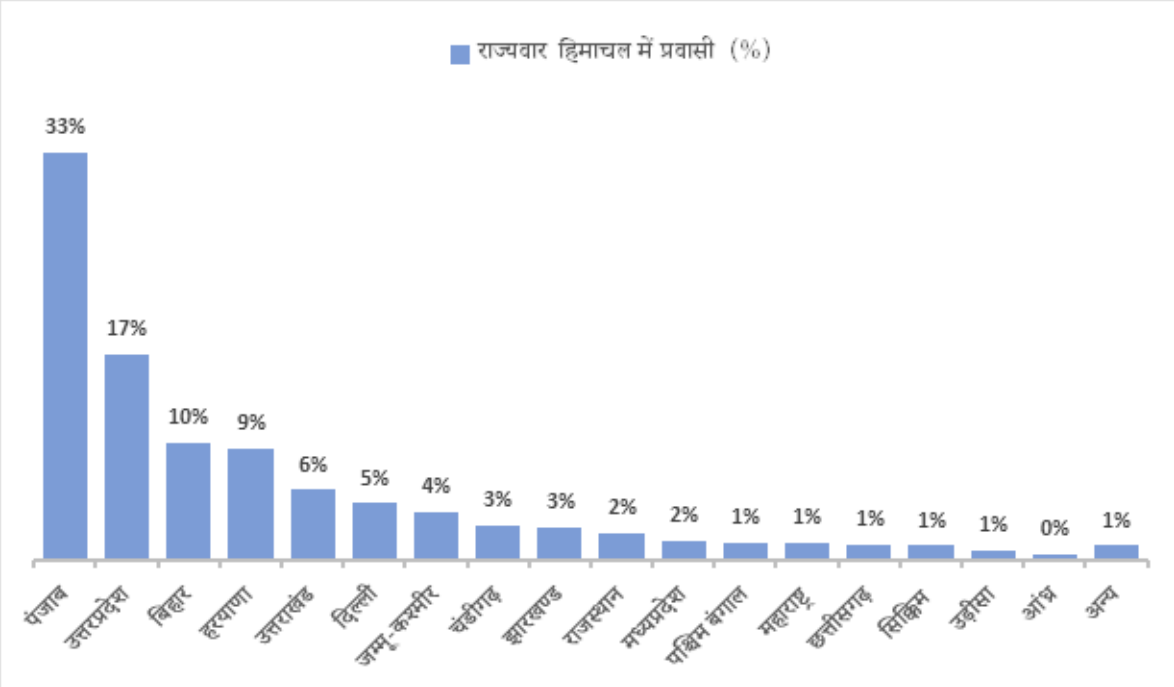

आज जहाँ प्रदेश के ही सोलन ज़िले का बी.बी.एन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) इलाक़ा, एशिया का *फार्मा हब* कहा जाता है और सिरमौर जिले का काला अम्ब क्षेत्र नया उभरता औद्योगिक केंद्र है कहा जाता है और भारी संख्या में प्रवासी मज़दूरों का गढ़ भी है। वहीं प्रदेश की 1.25 लाख़ हेक्टेयर भूमि पर होती सेब की खेती जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था में 4000 करोड़ का योगदान है- पूर्ण रूप से नेपाली मज़दूरों के श्रम पर टिकी है[9]।

इसके साथ ही राज्य में विस्तार होते विकास कार्यों जैसे जलविद्युत परियोजनाओं, राज्यमार्ग व सड़क निर्माण, व अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं जैसे छोटे निर्माण कार्य, पर्यटन के तहत मज़दूरी, सामान ढोना, डोमेस्टिक हेल्प, सफ़ाई कार्यों आदि अनेक श्रम कार्यों में भी प्रवासी मज़दूर की भारी भागीदारी है। अनुमान अनुसार हर साल मई महीने में 70 हजार के करीब मज़दूर बार्डर रोड़ आर्गेनाईजेशन (BRO) के अंतर्गत कार्य करने के लिए मध्य भारत के मैदानों से हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आते हैं। हिमाचल की अर्थव्यवस्था के मुख्य भागीदार - औद्योगिक, व्यवसायिक खेती, पर्यटन तीनों ही प्रवासी मज़दूरों के कन्धों पर टिके हैं[10]।

हिमाचल में प्रवासी मजदूरों की कठिन परिस्थितियाँ

गौर करने वाली बात है कि दीर्घकालीन या सीज़नल रूप से आने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ ही हिमाचल में कई ऐसे मजदूर हैं जो 30-40 साल पहले या बहुत लम्बे समय पहले पलायन कर यहाँ आयें थे और अब लम्बे अरसे से यहीं रह रहें हैं। इनमें सफ़ाई कर्मचारी, कचरा बीनने, नगर निगम व अन्य सरकारी विभागों में मजदूर स्तर पर कार्यरत, रेड़ी वाले , बूट पालिशर आदि जैसे दिहाड़ी और मजदूरी के कार्य कर यह लोग अपनी गुजर बसर करते हैं और झुग्गी- झोपड़ी व शहरी बस्तियों में रहते हैं। परन्तु लम्बे अरसे के प्रवास के बाद भी हिमाचल में आवास और राशन, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी इन समुदायों को हासिल नहीं।

फोटो 1: स्मार्ट सिटी धर्मशाला के सफाई कामगारों की अस्थाई बस्ती

इस सब के साथ राज्य में कार्य क्षेत्र, मज़दूरी भुगतान और मज़दूरों की सुरक्षा व रहन सहन की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है । उसके ऊपर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ मज़दूरों के लिए अन्य बाधाएं खड़ी करती हैं। उदाहरण के लिए राज्य मार्ग निर्माण में लगे नेपाल झारखंड और बिहार के मज़दूर न्यूनतम सुरक्षा गियर के साथ सड़क निर्माण कार्य को अंजाम देते हैं व चट्टान गिरने, भीषण ठंड और भू स्खलन जैसे जोखिम का सामना करते हैं, रहने के लिए इन्हीं सड़कों पर या नदी किनारे झुग्गियां डालते हैं जो असुरक्षित होती हैं – महिलाओं और बच्चों के लिए तो स्थितियाँ और जटिल होती हैं।

***चित्र 1:** 31.03.2015 तक पंजीकृत इकाइयों और मज़दूरों कि संख्या*[11]

THE DETAILS OF REGISTERED ESTABLISHMENTS AND NUMBER OF WORKERS AS ON 31.3.2015 IS AS UNDER:

ACT	NO. OF REGISTERED ESTABLISHMENT	NO. OF WORKERS
Factories Act,1948	4861	315922
Motor Transport workers Act,1961	126	7745
Trade Union Act,1926	1308	14100
Plantation Act,1951	17	225
Inter State migrant workers Act,1979	-	-
a. Principal Employer	104	15511
b. Contractor	144	4711
Labour Contract Act,1970	-	-
a. Principal Employer	1325	139126
b. Contractor	7854	148528
Manisana wage Board	-	-
Employees State Insurance Act,1971	6033	228380
Employees Provident Fund Act,1952	8877	1154726

कई प्रवासी मज़दूरों का अपने काम करने वाली जगह से पूर्ण संबंध मात्र ठेकेदार के माध्यम से होता है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र ही देखें तो ज्यादातर प्रवासी मज़दूरों का कोई पंजीकरण नहीं होता, बल्कि राज्य में पहुँचने के बाद उनके पहचान पत्र भी कांट्रेक्टर द्वारा रख लिए जाते हैं, वेतन भुगतान अक्सर समय पर नहीं होता या पूरा नहीं होता। ऐसे में पंजीकरण और सरकारी आंकड़ों के अभाव में इनके प्रति ना हिमाचल राज्य और प्रशासन जवाबदेही होता है न इनको लाने वाला ठेकेदार।

हिमाचल को विकसित बनाने में इन प्रवासी मज़दूरों व अन्य श्रमिकों कि भूमिका सबसे अहम और व्यापक है बल्कि अगर यह न हों तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था और सामाजिक दिनचर्या चल ही नहीं सकती । हम मानते हैं की महामारी व लॉक डाउन ने राज्य की अक्षमताओं, सामाजिक संरचनाओं व अन्य विषमताओं को उजागर करते हुए, सभी श्रमिकों, मजदूरों , प्रवासी मजदूरों की व्यथा और प्रताड़ना का आईना दिखाया है।

यह रिपोर्ट हिमाचल में दूसरे राज्यों से आये उन प्रवासी मजदूरों पर केन्द्रित है जो लॉक डाउन के दौरान अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुज़रे और HPWS के संपर्क में आये। इसमें राज्य के भीतर पलायन करते राज्य के ही प्रवासी मजदूरों या दूसरे राज्यों के लम्बे समय से हिमाचल में स्थित प्रवासी मजदूरों के मुद्दों का अध्ययन नहीं है।

फोटो 2: उच्च हिमालयी क्षेत्र किन्नौर में सीमा सड़क संगठन की सड़क परियोजना में मजदूरी करने वाले प्रवासियों की बसाहट

फोटो आभार: सुमित महर

फोटो आभार: सुमित महर

3. लॉकडाउन और प्रवासी मज़दूर

3.1. अवलोकन

कोविड-19 महामारी कि प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और व्यवस्था के देश स्तर में घोषित किये गए संपूर्ण लॉकडाउन के चलते जन जीवन पूर्ण रूप से ठहर गया। जिस देश के कार्यबल में से लगभग 80-90%[12] लोग अनौपचारिक मज़दूर के रूप में असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं [13], किसी सामाजिक और रोज़गार सुरक्षा के बिना वहां केंद्र सरकार द्वारा देश की बड़ी आबादी और वंचित समुदायों पर इसका क्या प्रभाव होगा यह विचार और आकलन किया ही नहीं गया।

लॉकडाउन के अचानक, मनमाने, केन्द्रित और अनियोजित कार्यान्वयन के कारण आर्थिक स्रोतों पर ताले लग जाने से भुखमरी, घोर तंगी, स्वास्थ्य व आश्रय व्यवस्थाओं का अभाव , बढ़ते क़र्ज़ और उधारों का दबाव, घर–गांव की चिंता ने प्रवासी मज़दूरों को असहाय और असुरक्षित छोड़ दिया। प्रवासी मज़दूर में लॉकडाउन का भय तो था लेकिन घर-परिवार और गांव से दूर फंसे इन लोगों - जो घनित्व वाले छोटे संकुचित कमरों, झुग्गियों में रहते हैं, से ***सोशल डिस्टेंसिंग*** और ***'घर में रहें'*** जैसे निर्देशों के पालन को लेकर ज़ोर डालना एक नासमझी अपेक्षा और अमानवीय दबाव था। लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं यह तो सबको ज्ञात था लेकिन प्रवासी मजदूरों के पलायन की दर और व्यापकता व उनके संघर्ष और समस्याओं पर पर इससे पहले गौर नहीं किया गया। समाज की नज़र में यह अद्रश्य मज़दूर समुदाय सामने तब आया जब मजबूर होकर प्रवासी मज़दूरों ने घर वापस लौटने के लिए एक अमानवीय यात्रा शुरू की। इस व्यापक बहुसंख्यक पलायन को ***रिवर्स माइग्रेशन*** कहा गया। यह अफसोसजनक है कि इसके बाद भी राज्य तंत्र व न्यायालय ने मज़दूरों के संघर्ष के निवारण को लेकर कोई ठोस, तत्काल व प्रभावशील प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि एक ढीला, अव्यवस्थित व असेवेंदंशील दृष्टिकोण दिखाया। इसके विपरीत सरकार का रुझान, महामारी के संप्रदायीकरण, श्रम क़ानूनों में संशोधन करने, प्रवासी मज़दूरों के साथ दोषियों जैसे व्यवहार करने में रहा। राज्य तंत्र और कोर्ट का ध्यान प्रवासी मज़दूरों की ओर तब गया जब देश भर से प्रवासी मज़दूरों की दिल दहलाने वाली घटनाएँ और मौत की ख़बरें उजागर होने लगीं और मीडिया व जन संगठनों द्वारा राज्य व्यवस्था से सवाल किये जाने लगे।

लॉकडाउन ने पहले से ही वंचित मज़दूर समुदाय को न सिर्फ और वंचित किया बल्कि साथ ही सामाजिक-आर्थिक असुरक्षाओं, भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं की ओर धकेलते हुए उनके शोषण को ओर सहज बना दिया है। महामारी के निरंतर व्यापक होते स्तर और इसकी प्रतिक्रिया में सरकार व राज्य व्यवस्था द्वारा दी प्रतिक्रिया के प्रवासी मज़दूरों पर प्रभाव अभी भी जारी हैं। हालांकि यह निश्चित है कि लॉकडाउन ने प्रवासी मज़दूरों पर जो घाव व मनोवैज्ञानिक आघात छोड़े हैं उनकी छाप गहरी और दर्दभरी है। *आमतौर पर इस स्तर की महामारी किसी देश की जन स्वास्थ्य की सीमाओं व क्षमताओं की स्थिति को उजागर करती है लेकिन भारत में कोविड-19 ने श्रमिक समुदायों और प्रवासी मज़दूरों के हालातों- परिस्थितियों का भी पर्दाफ़ाश किया है और राज्य की जन कल्याण की भूमिका और ज़िम्मेदारी पर सवाल खड़ा किया है।*

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर:

- घर वापस पैदल लौटे: **23%**
- वापस लौटने का कारण आर्थिक तंगी: **29%**
- पुलिस उत्पीडन का सामना: **12%**

गावं कनेक्शन द्वारा किये अध्ययन अनुसार[15]

- **42%** मज़दूरों के पास पर्याप्त राशन का अभाव, रूम/झुग्गी का किराया और जन स्वास्थ्य सुविधाओं तक सहज पहुँच नहीं।

जन सहस समूह के अध्ययन (अप्रैल 2020)[18]

- सबसे ज्यादा प्रवासी मज़दूर **बिहार (28 लाख)** व **उत्तर प्रदेश (21.69 लाख)** को लौटे
- सबसे ज्यादा रिवर्स पलायन **गुजरात (20.5 लाख)** व **महाराष्ट्र (11 लाख)** से हुआ
- **26.4%** वापस घर लौट रहे प्रवासी मज़दूरों की मौत हुई
- सड़क दुर्घटनाओं में **198** प्रवासी श्रमिकों ने अपनी जान गवाई[14]
- सबसे ज्यादा मौतें **उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलांगना व महाराष्ट्र** में हुई

सेवलाइफ फाउंडेशन के अध्ययन अनुसार (मार्च 24 से मई 30 तक)[17]

12 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा, पंजाब, उड़ीसा व महाराष्ट्र *ने श्रम क़ानून को कमजोर किया।*

- गैर कोरोना वायरस मौतों का आंकड़ा 971 रहा
- 216 मौतें भूख और वित्तीय संकट के कारण हुई
- 209 मौतें पलायन करते हुए या चलते हुए दुर्घटनाओं के कारण हुई

स्वतंत्र डाटा बेस (20 मार्च से लेकर 24 जुलाई तक)[16]

3.2. क्या हुआ बीते कुछ महीनों में?

मार्च 27 - अप्रेल 13, 2020

- 82% को सरकारी राशन नहीं मिला
- 64% के पास **100 रुपये** से कम बचे
- 97% को सरकार से कोई आर्थिक राहत नहीं मिली
- 78% को उनके मालिकों से वेतन नहीं मिला

स्वेंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (SWAN) की रिपोर्ट [19]

अप्रेल 14 – अप्रेल 26, 2020

- 96% को सरकारी राशन नहीं मिला
- 70% के पास **200 रुपये** से कम बचे
- 98% को सरकार से कोई आर्थिक राहत नहीं मिली
- 89% को वेतन नहीं मिला

स्वेंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (SWAN) की रिपोर्ट [20]

8 मई 2020

रेलवे की पटरी पर ट्रेन ने 16 मज़दूरों को कुचल दिया

महाराष्ट्र से पैदल चल कर 16 **प्रवासी मज़दूर** अपने घर **मध्यप्रदेश** वापस लौट रहे थे। 36-40 **कि.मी पैदल** चलते-चलते थकान के कारण वह **रेलवे पटरी** पर सो गए जब एक **माल गाड़ी** के ऊपर से गुज़र जाने के कारण उनकी **मौत** हो गयी। **उमरिया और शहडोल** ज़िला के रहने वाले यह सभी लोग **20 से 30 वर्ष** की उम्र के थे और **महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कोर्पोरेशन** के तहत एक स्टील फ़ैक्टरी में मज़दूरी करते थे और लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट रहे थे। [21]

10-16 मई 2020

साईकिल पर पिता को ले कर 1200 किलोमीटर का सफ़र करने को मजबूर हुयी बेटी

बिहार राज्य की रहने वाली **15 वर्षीय ज्योती**, अपने **पिता मोहन पासवान** जो **गुरुग्राम** में एक ऑटो रिक्शा चलाते थे के साथ लॉकडाउन के कारण बिना किसी आर्थिक स्रोत के फंसी हुई थी। जब **मकान मालिक** रूम का **किराया मांगने** लगा तब परेशान होकर ज्योती ने अपने बीमार पिता के साथ शहर छोड़ घर लौटने का फैसला लिया और बची-खुची पूँजी से एक साइकिल खरीदी। **1200 किमी** लंबा सफ़र, **साइकिल** पर पिता को बैठाए पेडल करते हुए, ज्योती **16 मई** को अपने घर पहुंची। [22]

मई 15 – जून 1, 2020

- 80% के पास अभी भी सरकारी राशन नहीं
- वापस लौटे प्रवासी मज़दूरों में 63% लोगों के पास **100 रुपये** से कम बचे
- 85% ने ख़ुद यात्रा का भुगतान किया
- 1,559 **श्रमिकों** में से, लगभग 80% ने **ऋण** लिया है
- 44% ने बसों के माध्यम से यात्रा की
- 67% लॉकडाउन की घोषणा के बाद से अभी भी उसी स्थान में फंसें हुए हैं
- 39% मात्र ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन ली

स्वेंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (SWAN) की रिपोर्ट [26]

16 मई 2020

सड़क दुर्घटना का शिकार मज़दूर

सरकारी परिवहन व्यवस्था के अभाव में **झारखंड, बंगाल और बिहार** के प्रवासी मज़दूर एक **ट्राली ट्रक** में लिफ्ट लेकर **राजस्थान** से आ रहे थे। ट्रक सफ़ेद पुट्टी से भरा था और सुबह 2 से 3 बजे के बीच **मिहौली** के पास चाय के लिए एक ढाबे पर रुका था, जब **दिल्ली** की ओर से **20** प्रवासी मज़दूरों को लिए आ रही **डी.सी.एम. ट्रक** से उसकी **भिड़ंत** हो गयी। **उत्तर प्रदेश** के **औरैया** में हुई इस दुर्घटना में **24** प्रवासी मज़दूरों की **मौत** हो गयी और **22 से ज्यादा** लोग गंभीर रूप से **घायल** हो गए। [23]

19 मई 2020

घर वापस की मांग को लेकर उमड़ता मज़दूरों का सैलाब

महाराष्ट्र में स्थित **मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन** पर बिहार और उत्तर प्रदेश जा रही श्रमिक ट्रेनों की ख़बर सुनकर लगभग 4000-5000 प्रवासी मज़दूरों का स्टेशन पर सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि ट्रेन में मात्र 1000-1500 यात्री सफ़र कर सकते थे लेकिन घर जाने के लिए परिवहन व्यवस्था का लम्बे समय से इंतज़ार कर रहे प्रवासी मज़दूर ट्रेन का सुन स्टेशन आने लगे। [27] लॉकडाउन से पूरी तरह परेशान और व्यवस्था के अभाव में **सूरत, चंडीगढ़** में भी हज़ारों प्रवासी मज़दूरों द्वारा सड़क-स्टेशन पहुँच घर वापस जाने की मांग को लेकर **प्रतिरोध** रहा।

25 मई 2020

श्रमिक ट्रेन पर हुयी मौत

गुजरात से बिहार आ रही **श्रमिक स्पेशल ट्रेन** में घर वापस आ रही **एक महिला** प्रवासी मज़दूर की **भूख और प्यास** के कारण हुई **मौत**। यह घटना तब सामने आई जब बिहार के **मुज़फ़्फरनगर स्टेशन** पर भूख के कारण अपनी मां के मृत शरीर के साथ खेलता हुआ एक **ढाई साल** के **बच्चे** का वीडियो मीडिया द्वारा प्रसारित हुआ। [24]

उसी दिन अपने माता पिता के साथ **दिल्ली** से घर लौट रहे एक **दो वर्षीय बच्ची** की भी **मुज़फ़्फरनगर स्टेशन** पहुँच **भूख और भीषण गर्मी** के कारण **मौत** हो गयी। माता-पिता अनुसार जल्दबाज़ी में उन्हें खाना रखने का न समय मिला न याद रहा और सफ़र के दौरान खाने का कोई सामान नहीं मिला। [25]

3.3. प्रवासी मज़दूरों को प्रभावित करने वाले केंद्र सरकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का घटनाक्रम

22 मार्च 2020

1 दिन का देश स्तरीय जनता कर्फ्यू[28]

24 मार्च 2020

प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा - 4 घंटे के नोटिस के साथ[29]

26-27 मार्च 2020

प्रवासी मज़दूरों का पैदल घर को पलायन शुरू[30]

29 मार्च 2020

केंद्र सरकार द्वारा पैदल चल रहे प्रवासी मज़दूरों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने हेतु राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा:-

- लॉकडाउन के दौरान फसे गरीब व ज़रूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी राहत शिविर स्थापित कर उनके रहने और खाने कि व्यवस्था
- अपने घरों के लिए पैदल निकल गये हैं लोगों के लिए 14 दिन कि क्वारंटाइन कि व्यवस्था
- उद्योगों, दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों को समय पर और पूरा वेतन दिया जाये।[31]
- मकान मालिकों द्वारा 1 महीने तक का किराया न लिया जाये, छात्रों व मज़दूरों को किराया देने पर मजबूर करने वाले मकान मालिकों पर क़ानूनी कार्यवाही।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया पर 11 सशक्त समूहों कि स्थापना की गयी, प्रवासी मज़दूर के संकट को देखने के लिए कोई समूह नहीं।[32]

31 मार्च 2020

- राज्य सरकारों ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों के पलायन को रोकने के लिए उठाए गये कदमों पर केंद्र को भेजी रिपोर्ट
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब कोई मज़दूर पैदल नही चल रहा है।[33]

1 अप्रैल 2020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को भोजन, स्वच्छता और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था के साथ प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत शिविर संचालित करने का निर्देश दिया।[34]

29 अप्रैल 2020

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में राज्यों को: बसों का उपयोग कर प्रवासी श्रमिकों के घर जाने कि व्यवस्था हेतु अंतर राज्ययी स्तर पर समन्वय करने के निर्देश।[35]

1 मई 2020

• 22 मार्च के बाद पहली बार, भारतीय रेलवे ने अपने गृह राज्य के बाहर फंसे प्रवासियों के आवागमन की सुविधा के लिए श्रमिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था कर यात्री आवागमन फिर से शुरू किया।[38] शुरुआत में सरकार ने कुल 100 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया।

• रेलवे, नॉन-एसी स्लीपर किराए के साथ 30 रुपये का सुपरफ़ास्ट चार्ज और प्रत्येक टिकट पर 20 रुपये का आरक्षित बर्थ शुल्क वसूल रहा था। इसमें पेयजल के साथ-साथ भोजन भी शामिल था। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जा रहे भोजन पर कुछ खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया।[39]

4 मई 2020

• कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की कि पार्टी की राज्य समितियां प्रवासी कार्यकर्ताओं की ओर से ट्रेन का किराया अदा करेंगी।[36]

• संयुक्त स्वास्थ्य सचिव ने अपनी दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि कुल टिकट राशि को रेलवे और राज्यों के बीच 85:15 के अनुपात में विभाजित किया गया है। रेलवे एक व्यक्ति की यात्रा में होने वाली कुल लागत का 85% वहन करेगा।[37]

14 मई 2020

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, वित्त मंत्री द्वारा घोषणा- जिन प्रवासी मज़दूरों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें दो महीने का मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। इससे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गयी।[40]

15 मई 2020

• अधिवक्ता, अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दर्ज याचिका को SC ने खारिज करते हुए कहा 'अब चलते हुए मज़दूरों की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है'।

• अधिवक्ता द्वारा 8 मई को महाराष्ट्र में 16 मज़दूरों की रेल के नीचे आने से हुई हत्या का ज़िक्र करने पर SC ने कहा कि 'हम किसी को रेलवे की पटरी पर सोने से कैसे रोकें? हम पैदल चल रहे मज़दूरों को कैसे रोकें?'

19 मई 2020

रेलवे मंत्रालय के दिशा-निर्देश - जिस राज्य से श्रमिक ट्रेन चल रही है उस राज्य को मंत्रालय द्वारा यात्रियों कि संख्या अनुसार टिकट दिए जायेंगे। यही टिकट सफ़र कर रहे यात्रियों को देकर उनसे मिला किराया मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा वापस दिया जायेगा।[42]

26 मई 2020

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश जारी किया कि प्रवासी मज़दूरों के संबंध में उनके द्वारा अभी तक किए गए सभी व्यवस्था व उपायों पर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।[41]

28 मई 2020

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को राहत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को निम्न अंतरिम निर्देश[44] जारी किये :

• प्रवासी मज़दूरों से कोई ट्रेन या बस किराया वहन नहीं किया जाना चाहिए

• संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा उनके यहाँ फंसे दूसरे राज्य से आये प्रवासी मज़दूरों को मुफ्त भोजन प्रदान करे और इस जानकारी को सार्वजनिक करें।

• प्रवासी मज़दूरों के परिवहन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल व तेज और पंजीकृत लोगों को जल्द से जल्द परिवहन प्रदान किया जाये।

• प्रवासी मज़दूरों को प्राप्त करने वाले राज्य (जहाँ के स्थायी निवासी हैं) द्वारा श्रमिकों को गंतव्य के अंतिम मील तक परिवहन, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाएँ मुफ्त प्रदान करें।

9 जून 2020

5 जून[43] को (9 जून को पूर्ण आदेश जारी), सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य / केंद्र-शासित प्रदेश सरकारों को निम्न निर्देश दिए:

• सभी फंसे हुए श्रमिकों का अपने मूल स्थान/राज्य को लौटने का परिवहन 15 दिनों के भीतर पूरा हो

• प्रवासी श्रमिकों की पहचान की प्रक्रिया तत्काल पूरी हो और प्रवासी पंजीकरण की प्रक्रिया को पुलिस स्टेशनों और स्थानीय अधिकारियों को विकेंद्रीकृत किया जाए

• वापस मूल राज्य लौट रहे प्रवासी मज़दूरों के रिकॉर्ड रखें जाए जिसमें उनके पहले के रोज़गार के स्थान और उनके कौशल का विवरण भी शामिल हो

• केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और रोज़गार के अन्य अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएं.

प्रवासी श्रमिकों जिनके खिलाफ कथित रूप से लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत शिकायत दर्ज की गयी उसको वापस लेने पर विचार करें।

इस घटनाक्रम के आधार पर यह इंगित होता है कि

• **राज्य तंत्र/व्यवस्था द्वारा उठाए गये कदम योजनाबद्ध कम प्रतिक्रियात्मक ज्यादा थे:** न केवल केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन करने का फैसला एक केन्द्रित प्रक्रिया के तहत बिना राज्य सरकार, श्रमिक मंत्रालय व सरकार द्वारा गठित कमिटियों के साथ चर्चा व समन्वय करते हुए लिया गया बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी ध्यान में नहीं रखा गया।

• **दमन की राजनीति ज़ारी:** जहाँ प्रवासी मज़दूरों पर आया संकट लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही उजागर होने लगा था वहीं इसके संबंध में सरकार द्वारा कोई व्यवस्था या प्रतिक्रिया देने के बजाय राज्य तंत्र का ध्यान अन्य राजनैतिक गतिविधियों जैसे महामारी के सांप्रदायिकरण, प्रेस अभिव्यक्ति के दमन, श्रमक़ानून में संशोधन, मज़दूरों के साथ दोषियों जैसी कार्यवाही की ओर ज्यादा रहा ।

• **राज्य सरकारों के कन्धों पर लादी ज़िम्मेदारी:** देश के विभिन्न राज्यों कि भिन्नताओं और परिपेक्ष व स्थिति का आकलन किये बिना, केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो या रेलवे मंत्रालय, सभी के द्वारा दिए गये आदेशों का बोझ राज्य सरकारों पर डाला गया। प्रवासी मज़दूरों के कार्य-क्षेत्र राज्य और उनके मूल राज्य के बीच एक प्रभावशील समन्वय की आवश्यकता थी लेकिन केंद्र द्वारा इसके नियोजन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी जैसे कि श्रमिक ट्रेन को लेकर ही लम्बे समय तक असमंजस की स्थिति के चलते कई राज्यों के बीच ट्रेन चलाने में देरी हुई।

• **जारी प्रतिक्रियाओं व आदेशों में स्पष्टता का अभाव:** लॉकडाउन के दौरान जो भी परिस्तिथियाँ बनी, उन पर केंद्र सरकार द्वारा सतही प्रतिक्रिया दी गयी जिनमें स्पष्टता का अभाव रहा और जिम्मेदारियों व प्रक्रिया के स्पष्ट विभाजन व उल्लेख न होने के कारण राज्य सरकारों, प्रशासन में भ्रम और उदासीनता भरा रवैया देखने को मिला।

• **तत्काल व प्रभावशील ठोस क्रियान्वयन का अभाव:** सरकार व न्यायालय के समक्ष प्रवासी मजदूरों के मुद्दें व स्थितियों पर अनेक सवाल खड़े किये गए लेकिन शुरूआती दौर में समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया और इस संबंध में जब निर्णय लिए भी गए तो उन फ़ैसलों पर तत्काल व सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य तंत्र के पास आंकड़ों समन्वय , समझ व संवेदनशीलता का अभाव स्पष्ट उजागर हुआ।

• **समावेशी व सहज प्रतिक्रियाओं का अभाव:** लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गये आदेश व योजनाएं विभिन्न वर्गों/समुदायों की दृष्टि से समावेशी, सहज़ न होकर वास्तविकता से कोसो दूर मालूम हुईं, फिर चाहे डिजिटल पंजीकरण की बात हो या राशन वितरण में राशन कार्ड को आधार बनाने का फैसला हो।

3.4. क्या रही सुप्रीम कोर्ट की भूमिका?

प्रवासी मज़दूरों से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में अभी भी याचिकाएं चल रही हैं जिसमे जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व देश के विभिन्न जन संगठनों द्वारा पहल ली गयी ।

- खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोज़गार गारंटी, केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन कि यात्रा के दौरान खाने की व्यवस्था, प्रवासी मज़दूरों के अकाउंट में 10,000 रूपए की राशि डालना, केंद्र सरकार कि आपदा प्रबंधन योजना जैसे कुछ अहम मुद्दे कोर्ट में उठाए गये।
- लेकिन कोर्ट का अधिक ध्यान प्रवासी मज़दूरों के उनके घर वापस जाने से जुड़ी राज्य वार व्यवस्था करने पर रहा। SC द्वारा राज्य वार हेल्पडेस्क और काउंसलिंग सेंटर जैसी व्यवस्था करने और फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों को उनके मूल राज्य वापस भेजने जैसे आदेश दिए गये।
- एक तरफ SC द्वारा दिए गये आदेशों में राज्य सरकारों के लिए कई जिम्मेदारियां तय की गई वहीं केंद्र सरकार पर जिम्मेदारियों का बोझ न के बराबर दिखाई पड़ा।
- केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग न देकर सारी ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल देने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया नही दी।
- कंपनी मालिकों द्वारा MHA के 29 मार्च के आदेश पर दायर याचिका में SC ने केवल मौखिक आदेश के अंतर्गत कंपनी मालिकों और श्रमिकों के बीच सौदेकारी के माध्यम से वेतन तय करने कि बात कही। SC ने MHA के आदेश को अवैध या असंवैधानिक नही पाया और इसलिए यह आदेश अभी भी मान्य है और कंपनी मालिकों के लिए श्रमिकों को अपनी मुट्ठी में रखने का अवसर प्रदान करता हैं और ऐसी परिस्तिथियों में मज़दूरों कि व्यथा को और गहरा बना देता हैं।
- SC द्वारा दिए गये अंतरिम आदेशों का राज्य सरकारों द्वारा बहुत देर से और आधा अधूरा क्रियान्वयन किया गया। इस पर न तो कोर्ट द्वारा आदेशों के जल्द क्रियान्वयन पर कोई दिलचस्पी दिखाई गयी और न ही कोई सख्त कार्यवाही की गयी।
- अंत में SC द्वारा लिया गया निर्णय पहले ही काफी देर से आया और अगर उस समय नही लिया जाता तो जिन राज्यों में मज़दूर फंसे हुए थे, उन राज्यों पर प्रवासी मज़दूरों को उनके मूल गाँव भेजने का दबाव नही पड़ता।

> *"इस दौरान हमारे मन में हमेशा यह दुविधा रही कि क्या कोर्ट का हस्तक्षेप इतना प्रभावशाली होगा जिससे केंद्र व राज्य सरकारों को एक प्रेरणा मिलेगी? क्या दिए गये निर्देशों पर समयबद्ध होकर कार्य किया जायेगा? क्या इसकी जांच के लिए कोई व्यवस्था बैठाई जाएगी ?"*
>
> *– मेधा पाटकर के साथ चर्चा पर आधारित विश्लेष्ण*

फोटो आभार: सुमित महर

4. मज़दूर क्यों मजबूर?

4.1 राज्य की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण के चलते उभरती समस्याएँ

हिमाचल प्रदेश की प्रतिक्रियाएँ देखें तो राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (COVID-19) विनियमन, 2020 शीर्षक के नाम से जारी की गयी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा उठाया गया पहला ठोस कदम था जिसने प्रशासन को सक्रिय कर कार्यवाही में लाया। इसके बाद 16 मार्च से धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया और 20 मार्च को कोविड-19 के पहले दो मामले कांगड़ा जिले में दर्ज होने के बाद, उसी दिन से राज्य में सभी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा से एक दिन पहले 22 मार्च 2020 को राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया था और IGMC, शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा को COVID-19 का आधिकारिक परीक्षण केंद्र घोषित किया गया।

केंद्र और राज्य की प्रतिक्रिया इस दौर में सबसे धीमी रही पर 17 अप्रैल को शिमला उच्च न्यायलय में दायर हुई एक याचिका[45] के बाद, कोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार से जवाबदेही में अभी तक हुए प्रवासी मज़दूरों के संदर्भ में कार्य पर एक्शन टेकन रिपोर्ट 5 मई तक सौंपने का निर्देश दिया[46]। हालांकि इस बीच कई घोषणाएँ भी हुई जिसके अनुसार हिमाचल राज्य में प्रवासी मज़दूरों के संदर्भ में प्रशासनिक प्रणाली को निर्देशित किया गया लेकिन इसी बीच राज्य में PPE किट जैसे घोटाले[47] भी सामने आए और घर वापस जाने की मांग के संबंध में बिलासपुर में बन रहे AIIMS में कार्यरत हजारों निर्माण मज़दूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया[48]! लेकिन कुछ अधिकारियों जिन्होंने संवेदनाओं के साथ सक्रिय रूप से व्यवस्था प्रबंधन को ज़मीन पर देखा, के अलावा, राज्य के प्रशासनिक व राजनैतिक तंत्र ने भी केंद्र जैसी उदासीनता ही दिखाई। प्रवासी मज़दूरों के मुद्दों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और उसमें रहे आभावों को इस और अगले खंड में भी उल्लेखित किया गया है।

सांप्रदायिक मानसिकता की मार खाता मज़दूर

लॉकडाउन 1 के दौरान 'तबलिग जमात' को प्रदेश में करोना फैलाने के लिए बेबुनियादी तरीक़े से सरकार और मीडिया द्वारा ज़िम्मेदार बताया गया। इसके चलते स्थानीय घुमंतू पशुपालक, गुज्जर और कश्मीरी प्रवासी मज़दूरों को भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा[49]। मीडिया द्वारा फैलाए इस विष के कारण उना जिले में इस बहिष्कार से परेशान हो कर गुज्जर समुदाय के एक व्यक्ति ने मजबूर होकर अपनी जान ले ली[50]। हिमाचल जैसे शांत कहे जाने वाले प्रदेश में इस राजनीति के कारण कश्मीर के कुछ प्रवासी मज़दूरों पर शारीरिक जानलेवा हमले हुए[51]।

चित्र 2: अहमदाबाद मिरर अखबार द्वारा प्रकाशित

फोटो 3: बरोट में कश्मीर से आये प्रवासी मज़दूरों जिन पर हिंसात्मक हमले हुए

बरोट और पंडोह क्षेत्र के पास घटित इन हिंसात्मक घटनाओं ने वर्षों से आ रहे कश्मीरी प्रवासी मज़दूरों के हिमाचल पर विश्वास को तो तोड़ा ही पर साथ ही उनकी सुरक्षा, सम्मान और जान के संबंध में राज्य की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया है। इन घटनाओं के बाद कश्मीर सरकार की सख्त मांग और सीपीआई पार्टी के नेता श्री राकेश सिंघा के धरने के बाद, कश्मीरी मज़दूरों के घर लौटने की तत्कालीन व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय स्तर के मीडिया तथा केंद्र सरकार ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए तबलीग जमात को झूठा मुद्दा बनाया जबकि देश के ऐसे कई मंदिर भी थे जहाँ इस लॉकडाउन के समय लोगों का जमावड़ा तबलीग जमात में जुड़े लोगों से 25 % ज्यादा था[52]।

आंकड़ों से नदारद मज़दूर

ग़ौरतलब है कि हिमाचल सरकार के पास प्रवासी मज़दूरों का कोई सही और अपडेटेड आंकड़े ही नही थे और जो 2011 की जनगणना अनुसार संख्या थी भी वह सिर्फ कुछ पंजीकृत मज़दूरों की थी जो की राज्य के प्रवासी मज़दूरों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हैं। ऐसे में जिलावार जानकारी न होने के कारण कितना राशन वितरण करना है, कहाँ करना है, क्या और व्यवस्था करनी है उसका अंदाज़ा भी सरकार के लिए लगा पाना बहुत मुश्किल था। साथ ही आंकड़ों के अभाव और उनको इक्ठ्ठा करने के तरीके के कारण हिमाचल में कितने प्रवासी मज़दूर बेरोज़गार हुए, उनकी व्यथा और प्रभाव का अनुमान अभी तक लगाना मुश्किल है।

सिर्फ राशन, राहत नहीं

लॉकडाउन 1 कि शुरुआत से ही राज्य व्यवस्था का पूरा ध्यान राशन पर रहा। लेकिन क्या खाली राशन वितरण काफ़ी था? हाथ में कुछ नकदी धन होना एक तात्कालिक आवश्यकता थी क्योंकि मज़दूरों को राशन के अलावा गैस सिलेंडर, दूध या दवाइयों तक पहुंच की आवश्यकता होती है और अन्य आवश्यक चीजें जैसे फोन रिचार्ज, जो श्रमिकों को नागरिक समाज या सरकार से मदद के लिए संपर्क में रहने में सक्षम बनाता है।

> *भईया, दुकान से क़र्ज़ लेकर खा रहें हैं, ऊपर से बिजली व कमरा किराया, बीवी की दवाइयों के कारण अलग उधार लगा हुआ है। हर दिन हालात ख़राब हो रहें है, एक पैसा नही है जेब में, सरकार पता नहीं कब कुछ करेगी?" – बद्दी में फंसे यू.पी से आये एक प्रवासी मज़दूर फईम ने HPWS सदस्य से हुई बातचीत में कहा*

जितनी भी बचत की थी वह भी राशन खरीदने और घर का किराया देने में चली गयी जिसके बाद उधार और ब्याज बढ़ते गए। वैसे तो किसी भी प्रवासी मज़दूर से कोई भी मकान मालिक न तो किराया ले सकता था और न ही कोई ठेकेदार उनके पैसे रोक सकता था लेकिन इसके बावजूद भी बिना वेतन किराया देने को मजबूर रहा प्रवासी मज़दूर। इन्हें दुकानदार उधार भी नही दे रहे थे। HPWS के सदस्यों ने कई कॉल्स के माध्यम से पाया कि हाथ में पैसों की इस कमी के कारण कई परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का प्रबंधन एक संकट बन चुका था और लोगों के ऊपर हजारों के उधार भी थे।

बिना राशन कार्ड नही मिलेगी राहत

16 अप्रैल 2020 को द वायर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन 1 कि घोषणा में आधा अप्रैल बीत जाने के बाद भी 15 राज्यों में सिर्फ 22% अतिरिक्त राशन का वितरण हुआ। मतलब इस दिनांक तक भी 75% राशन कार्ड धारकों को इस सेवा का फायदा नही मिला था[53]।

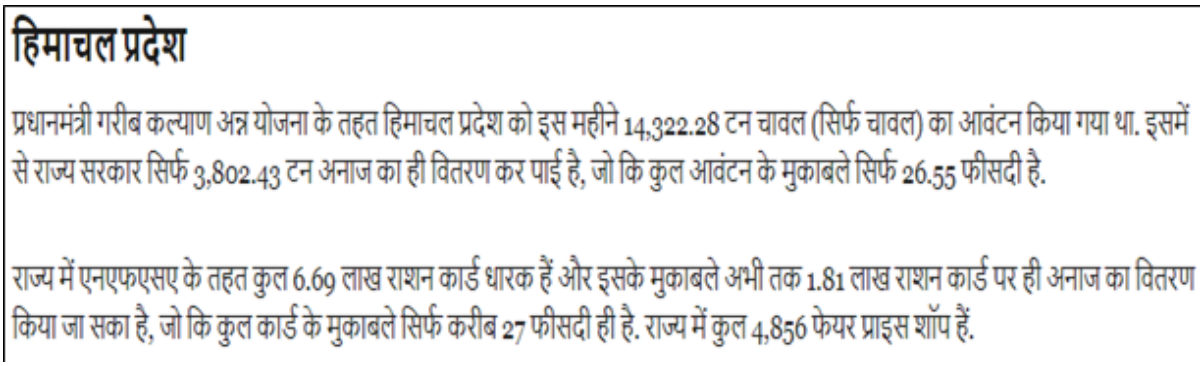

हिमाचल प्रदेश

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को इस महीने 14,322.28 टन चावल (सिर्फ चावल) का आवंटन किया गया था. इसमें से राज्य सरकार सिर्फ 3,802.43 टन अनाज का ही वितरण कर पाई है, जो कि कुल आवंटन के मुकाबले सिर्फ 26.55 फीसदी है.

राज्य में एनएफएसए के तहत कुल 6.69 लाख राशन कार्ड धारक हैं और इसके मुकाबले अभी तक 1.81 लाख राशन कार्ड पर ही अनाज का वितरण किया जा सका है, जो कि कुल कार्ड के मुकाबले सिर्फ करीब 27 फीसदी ही है. राज्य में कुल 4,856 फेयर प्राइस शॉप हैं.

चित्र 3: द वायर की रिपोर्ट का अंश

इन आंकड़ों के बीच एक बड़ी संख्या थी उन अज्ञात आंकड़ों की जो राशन कार्ड धारक नही थे और जिनकी कोई बात नही कर रहा था। इस मुद्दे को सिर्फ हिमाचल में ही नही बल्कि पूरे देश में उठाया गया जिसके बाद बिना राशन कार्ड के राशन वितरण शुरू हुआ[54]। लेकिन परिवार के सदस्यों के अनुपात में राशन न देते हुए सरकार ने बस खाना पूर्ती करते हुए फ़िक्स राशन किट दी। क्या 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल में 5 से 7 सदस्यों वाले परिवार एक सप्ताह भी गुजारा कर सकता था? साथ ही स्थानीय प्रशासन ने एक बार राशन देने पर उसका नियमित फॉलो-अप भी नही किया।

> *अरे मैडम, कहने को है राशन वितरण, पर राशन में खाली चावल और चना देने का निर्देश है। लेकिन जमीन पर डिमांड का सर्वे किये बिना, हमारे डिपो में राशन की नियमित मात्रा भेज दी, अब इसमें तो सभी मौजूदा प्रवासी मज़दूरों को वितरण करना मुमकिन नहीं, अगर हम सबको देंगे तो दो दिन का राशन भी नहीं मिलेगा लोगों को। यह सब घोषणाएँ झूठी होतीं हैं पर सच किसको कहें।" – HPWS सदस्य द्वारा बद्दी राशन डिपो के कर्मचारी से हुई बातचीत में*

राशन वितरण में प्रशासनिक संवेदनशीलता का अभाव

HPWS के साथियों को भी प्रशासनिक माध्यम से राशन वितरण में अत्यंत ढीलापन और मज़दूरों के प्रति पक्षपात का रैव्वाया मिला। प्रवासी मज़दूरों को राशन और राहत सामग्री के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, सैंकड़ों सरकारी नंबरों पर काल कर राशन माँगना पड़ा, प्रशासनिक अधिकारियों के सवाल सुनने पड़े। कई श्रमिकों ने हमें फोन कर संबंधित अधिकारियों को फोन करके मदद की व्यवस्था करने को कहा। हमें बताया गया कि जब हमारे द्वारा प्रशासन से संपर्क करने पर संबंधित प्रवासी मज़दूरों के घर राहत कार्यकर्ता पहुंचे तो उनके द्वारा मज़दूरों के घरों की तलाशी ली गई।

> *"दीदी हम प्रशासन को कॉल नहीं करेंगे,अधिकारी लोग बहुत गुस्सा करते हैं, घर की ऐसे छानबीन करते हैं जैसे हम चोर हों। कहते हैं एक बार दे दिया, बार बार नहीं मिलेगा राशन" – लॉकडाउन 2.0 के दौरान, HPWS सदस्य से बद्दी में रह रही उत्तर प्रदेश कि एक महिला मज़दूर द्वारा साझा की गयी बात*

भोजन और पर्याप्त मज़दूरी मुआवजा प्रदान नहीं करना, नैतिकता और भावनात्मक दृष्टिकोण से तो गलत है ही पर साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21- जीवन का मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। प्रशासन द्वारा प्रवासी मज़दूरों पर आये संकट और भुखमरी की स्थिति में राशन वितरण के दौरान घर की छानबीन करना, ताने सुनाना, दोषियों जैसा सलूक करना न केवल किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक आघात भी है।

बंद हुए प्रदेश के द्वार, बिना परिवहन पैदल चलने को मजबूर हुआ मज़दूर

सरकार व राज्यों पर दोहरी ज़िम्मेदारी और प्रबंधन का दबाव था – अपने राज्य के लोगों को घर वापस लाने का और राज्य में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को उनके घर भेजने का। इस संबंध में जहाँ हिमाचल सरकार ने अपने मूल निवासियों, मज़दूरों और छात्रों के राज्य वापस लौटने के प्रबंधन को व्यवस्थित ढंग से लागू किया वहीँ दूसरी ओर राज्य में आये हुए प्रवासी मज़दूरों के उनके राज्य लौटने और अन्य समस्याओं के निवारण को सुनिश्चित करने में समान कार्य क्षमता और सवेंदना नहीं दिखाई। बल्कि राज्य व्यवस्था द्वारा शुरूआती दौर में लगातार प्रवासी मज़दूरों को हिमाचल में ही रूकने की सलाह दी गयी या फ़िर प्राइवेट बसों का सुझाव मिला।

> *"उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले के 75 लोगों का एक समूह जो की बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में मज़दूरी के लिए आया था, ने HPWS के सदस्यों को राशन व घर वापस लौटने को लेकर काफ़ी शुरूआती समय में संपर्क किया था। सभी परिवारों की स्थिति बहुत खराब थी, सरकार के द्वारा जारी की गयी घोषणाएँ क्रियान्वयन में नही आई थी- राशन वितरण नहीं हुआ था, फ़ैक्टरियों और कंपनियों में ताले लगे थे- लॉकडाउन क्या उससे पहले का वेतन भुगतान बकाया था, मकान मालिक कमरे बिजली का किराया मांग रहे थे, ऐसे में लोगों की मांग घर जाने को लेकर थी। इंतज़ार और सैंकड़ों प्रशासनिक अधिकारियों से पत्राचार के बाद हार कर इन लोगों ने बद्दी से पैदल अपने गांव चलना शुरू किया। पुलिस की मार से बचने के कारण कई लोगों ने हाइवे की बजाय गांव के लम्बे रास्ते लिए कुछ लोग भटक गए। हालांकि कुछ लोगों को हरियाणा पहुँच क्वारंटाइन सेंटर मिला तो कुछ को सहारनपुर बार्डर तक चल कर पहुँचना पड़ा, पर इन सबके बीच वापस गांव पहुँचने पर लोगों की आवाज़ में एक सुकून था भले ही अस्थायी हो।" – HPWS सदस्य*

राज्य से जब मज़दूर पैदल अपने घर अपने राज्य को निकले तब उनमें से कुछ को राज्य बार्डर पर रोक कर वापस भेज दिया, तो कुछ को पास के किसी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया तो कुछ लोगों को पुलिस थाने ले जाया गया। प्रदेश की मीडिया ने जब इस व्यथा को दर्शाया और केंद्र ने परिवहन सुविधा बारे आदेश दिए और सैंकड़ों फोन कॉल, मेल, प्रेस स्टेटमेंट व ज्ञापन देने के बाद हिमाचल सरकार ने 22 मई को पहली श्रमिक ट्रेन चलाई। इसके साथ ही पूरे लॉकडाउन में हज़ारों अंतर राज्ययी मज़दूरों ने जंगलों-झरनों के रास्ते पैदल चल कर, छिपेते हुए अपने घर का रास्ता तय करना पड़ा। हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भूगोल के कारण कुछ किलोमीटर का रास्ता भी मैदानी क्षेत्रों से लम्बा और जटिल होता है[55]।

सूरज पाल, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के करनपुर गाँव के रहने वाले एक प्रवासी मज़दूर ने एक ट्रेक्टर के फुलाए हुए टायर ट्यूब से खुद को बांध कर हरियाणा बार्डर से होकर बहती यमुना नदी में कदम रखने से पहले अपनी 2 साल कि बेटी ज्योति को एक झिझक के साथ कसके गले लगाया।

सूरज और उनका समूह, जो हिमाचल प्रदेश के बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के सैंकड़ों अन्य श्रमिकों के साथ अपने गाँवों कि तरफ पैदल चल कर जा रहे थे, हरियाणा-यू.पी बार्डर पर फंस गये थे क्योंकि इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाले पुल पर, पुलिस ने रास्ते को सील किया था और पैदल चल कर आ रहे लोगों को रोक रही थी। जो लोग पुल तक पहुँचने में कामयाब रहे उन पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा गया[56]।

डिजिटल इंडिया में पिसता मज़दूर

केंद्र के आदेशों के बाद सभी राज्यों ने प्रवासियों के आने जाने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था बनाई जो पूरी तरह से ऑनलाइन थी। राज्य की सरकारी वेबसाइट पर प्रवासी मज़दूर हिमाचल में कहाँ रहते हैं और किस राज्य जाना चाहते हैं उसकी व्यक्तिवार जानकारी भर कर पंजीकरण करने की जटिल प्रक्रिया बनाई गयी।

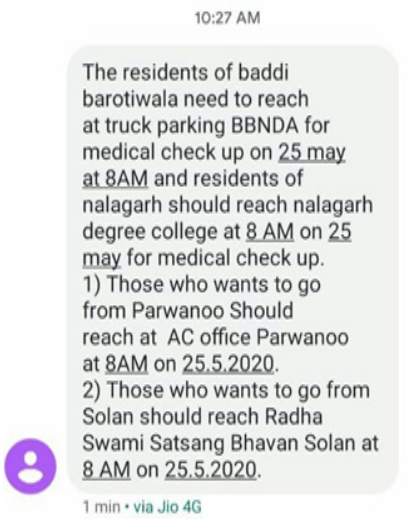

चित्र 4: राज्य प्रशासन द्वारा प्रवासी मज़दूरों को ट्रेन संबंधित जानकारी का अंग्रेजी में मैसेज

इस पूरी प्रक्रिया में मज़दूरों को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा:

1. इस जानकारी का प्रसार सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नही हुआ था जिसके कारण बहुत से मज़दूरों को यही नही पता था कि अपने घर वापस जाने के लिए इस तरह की कोई प्रक्रिया भी है।

2. अधिकतर मज़दूरों के पास स्मार्ट फ़ोन नही थे, या इंटरनेट चलाने में सक्षम नहीं और लॉकडाउन के कारण बाज़ार जा कर साइबर कैफ़े में पंजीकरण नही कर सकते थे।

3. पंजीकरण पोर्टल वेबसाइट के अंग्रेजी में होने के कारण पंजीकरण का फॉर्म भरने में उन्हें मुश्किल होती।

4. कई बार जो दस्तावेज़ ऑनलाइन पंजीकरण के समय मांगे जाते जैसे आधार कार्ड नंबर, वे दस्तावेज़ ठेकेदारों के पास होते थे जिसकी वजह से भी बहुत मज़दूर अपने घर के लिए नही निकल पाए।

5. पंजीकरण करने के बाद भी किस दिन श्रमिक ट्रेन की व्यवस्था हुई है इसकी जानकारी अंग्रेजी में प्रवासी मज़दूरों के फ़ोन पर आती थी। स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के संपर्क न करने और अंग्रेजी में मैसेज भेजने के कारण बहुत से मज़दूरों को उनके घर वापस जाने से संबंधित ट्रेन की जानकारी ही नही मिलती थी।

6. गौर करने वाली बात है कि कई राज्यों ने अपने पोर्टल बनाए थे जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं था कि कहाँ पंजीकरण करना है।

सरकार का जिलावार व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण न करके इन विषम परिस्थितियों में प्रवासी मज़दूरों से ऑनलाइन पंजीकरण करने की अपेक्षा करना एक भद्दा मज़ाक था।

> *अभी तो हम आंकड़ें इक्ठा कर रहे हैं, फिर मूल राज्यों को भेजेंगे" – HPWS सदस्यों से हुई बात में नोडल अधिकारियों का बयान, 15 मई 2020*

> *कितने प्रवासी मज़दूरों ने पुलिस चौकी, तहसील ऑफिस, एस.डी.एम ऑफिस के न जाने कितने चक्कर लगाये इस उम्मीद में की शायद उनके घर वापस जाने की कोई सुविधा की जायेगी लेकिन सरकारी विभागों में जानकारी के अभाव के कारण उन्हें वहां से भी निराशा ही हासिल हुई।" –HPWS सदस्य*

अंतर व आंतर राज्य स्तरीय समन्वय की कमी

हिमाचल राज्य व्यवस्था ने आदेशों व आपादा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर हर अन्य प्रदेश के लिए एक नोडल अधिकारी के साथ-साथ जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रवासी मज़दूरों के वापस लौटने बाबत प्रशासनिक ढाँचे को खड़ा किया और हेल्पलाइन सेवाओं को भी स्थापित किया। कई अधिकारियों ने संवेदनाओं के साथ अपने पद और शक्तियों का उपयोग करते हुए सक्रिय भूमिका भी निभाई।

- हिमाचल सरकार और बाकी राज्यों (जहाँ के मज़दूर यहाँ फंसे हुए थे) का समन्वय ढीला होने के कारण बिहार, झारखंड के लिए ट्रेन चलने में देरी हुई। जिन रूट पर श्रमिक ट्रेन चलनी थी उसके रास्ते में आने वाले राज्यों के साथ संवाद करके ट्रेन को जगह जगह रोकने की योजना नहीं बन पायी, नेपाल के संदर्भ में तो नोडल अधिकारी को भी जानकारी नहीं थी और उन्होंने एम्बेसी से संपर्क करने को कहा जबकि नेपाल ने पहले ही बोर्डर खोल यूपी के रास्ते मज़दूर लेना शुरू कर दिया था।
- आस पास के राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब के साथ भी समन्वय नहीं किया गया जबकि हिमाचल में आने वाली ट्रेनों की संख्या कम थी और एक साझी रणनीति ऐसे में सहायक होती। अगर इस तरह का समन्वय सरकार द्वारा किया जाता तो पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के मज़दूर जो कम संख्या में प्रदेश में रह रहे थे के जाने कि साझी व्यवस्था की जा सकती थी। पालमपुर, कांगड़ा में कार्यरत छत्तीसगढ़ के करीब 40 मज़दूरों को जब उनके बाकी साथियों से यह पता चला कि अमृतसर से छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन है तो वे खुद गाड़ी कि व्यवस्था कर अमृतसर तक गये और वहां से ट्रेन पकड़ी।

> *"बिहार के कई साथियों ने लंबा इंतज़ार किया था पर ट्रेन नहीं आने पर वो पैदल निकलने को तैयार थे, हमने जब झारखंड के अधिकारियों से अनुरोध किया की वो अपनी ट्रेन में कुछ सीटें बिहार को दे दें तो उनका ज़वाब था- बिल्कुल बिहार के लोग भी हमारे भाई हैं। यही समन्वय HPWS ने हरियाणा पंजाब के प्रशासन के साथ कर लुधियाना, जालंधर से चल रही ट्रेनों में हिमाचल में फंसे मज़दूरों को भेजने के लिए भी अपनाया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं थी कि कई पत्राचारों, आदेशों, आवाज़ उठाने के बाद जब एक ट्रेन आई भी तो मात्र प्रशासनिक समन्वय और संवाद की कमी के कारण मज़दूर ट्रेन न ले सके या फिर उनके स्टेशन पहुँचने पर भी उन्हें जबरन रोका गया।" –HPWS सदस्य*

अगर राज्य के अन्दर ही देखें तो राज्य स्तर और जिला स्तर अधिकारियों के बीच समन्वय का भारी अभाव दिखा। न केवल आंकड़ों को लेकर राज्य और जिला स्तरीय अनुमान में अंतर निकला बल्कि कई बार राज्य अधिकारियों द्वारा पूरी जानकारी जिला स्तर पर दी ही नहीं गयी। हिमाचल से जाने वाले सभी प्रवासी मज़दूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कालका व अम्ब रेलवे स्टेशन से की गयी थी और वहां तक जाने के लिए हर जिले में एक निश्चित जगह से बस निकलती थी। ऐसे में उस निश्चित जगह पहुँचने के लिए किसी गांव में फंसे प्रवासी मज़दूर को कोई सरकारी परिवहन व्यवस्था नही दी गयी।

> *प्रवासी मज़दूरों से यह उम्मीद करना की वो प्राइवेट टैक्सी करके खुद सुबह 6 बजे पहुंचे, प्रशासनिक समझ और व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। HPWS ने आर्थिक सहायता के माध्यम से तो कहीं कुछ सवेंदनशील अधिकारियों द्वारा टैक्सी प्रबंधन की कोशिश की लेकिन हमारी पहुँच सीमित थी। यह ज़िम्मेदारी राज्य स्तर के अधिकारियों की थी जिसमें वो पूर्ण रूप से विफल रहे बल्कि इस कारण कई मज़दूरों की बसें छूटीं तो कई एक रात पहले चलकर जिला मुख्यालय में बस स्टैंड पहुंच कर रात भर खुले में बैठे रहें। कोर्ट के आदेशों पर ट्रेन तो चल गयीं पर ज़मीनी क्रियान्वयन में अनेक विषमताएं दिखीं।" –HPWS सदस्य*

इस समन्वय की कमी और किसी भी श्रमिक ट्रेन की जानकारी सार्वजनिक नही किये जाने की वजह से ऐसा भी हुआ कि ट्रेन में जगह होने के बावजूद स्पॉट पंजीकरण नहीं किया गया। और जिनके नाम किसी भी कारण से सूची में नहीं थे उन्हें स्टेशन से वापस भेज दिया गया जबकि ट्रेन में सीटें खाली रह गयी।

HPWS के इन तीन महीनों के कार्य के दौरान कई ऐसे भी अधिकारी थे जिनकी तरफ से समन्वय में काफी सहायता मिली और जिनकी भूमिका सकारात्मक रही।

- *उत्तर प्रदेश जाने वाले मज़दूरों की संख्या बहुत अधिक थी , ऐसे में चाहे HPWS के साथ ट्रेन व रूट की जानकारी साझा करने की बात हो, चाहे अंतर राज्य समन्वय की, नोडल अधिकारी की ओर से तत्कालीन संवाद प्रक्रिया को बनाए रखा गया।*
- *बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ से घर जाने वाले प्रवासी मज़दूरों की संख्या सबसे अधिक थी और बद्दी पुलिस द्वारा स्थानीय क्रियान्वयन और समन्वय सबसे प्रभावशील व सवेंदनशील रहा, चाहे ट्रेन में बिना पंजीकरण श्रमिकों को बिठाने बाबत निर्णय लेने हो या पंजाब स्टेशन पर समन्वय कर श्रमिकों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था की बात हो।*
- *कांगड़ा जिला प्रशासन ने सबसे सक्रिय भूमिका दिखाई, चाहे अंतिम समय तक श्रमिकों को ट्रेन सूची में शामिल करने के निर्णय की बात हो चाहे उच्च पद के अधिकारियों को ज़मीनी स्थिति से अवगत कराने की बात हो, चाहे HPWS के साथियों के मिलने पर सकारात्मक पहल को लेकर संवाद।*
- *जब एक तरफ प्रदेश सरकार ने भी मीडिया के सामने बढ़ते केस के आंकड़े देते हुए तबलीग़ जमात के आंकड़े अलग से जाहिर किये और कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे के सांप्रदायिक पहलू के भ्रम को स्थापित किया वहीँ दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक, चंबा ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने संबंधित मुहिम चलायी।*

इन सबके अलावा भी नियुक्त नोडल अधिकारियों के आफ़िस के कुछ कर्मचारी लगातार प्रयासशील रहे।

निजी बस आपरेटरों की लूट

राज्य सरकार को जरूरत थी सरकारी बसों को नियुक्त कर प्रवासी मज़दूरों के परिवहन को संचालित करने की लेकिन इसके विपरीत राज्य प्रशासन ने न सिर्फ प्राइवेट बस आपरेटरों को मनमर्जी के दाम पर चलने की अनुमति दी बल्कि निजी बस ऑपरेटर्स को प्रति किलोमीटर चार्जेज़ कितने होने चाहिए उसका नियंत्रण भी नहीं किया। घर वापस जाने की मांग पर मज़दूरों को न सिर्फ़ निजी ऑपरेटर्स के संपर्क दिए गए बल्कि प्रशासन द्वारा तत्कालीन प्रभाव से बस ऑपरेटर्स को पास उपलब्ध किये गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, मध्यप्रदेश के न जाने कितने प्रवासी मज़दूरों को मजबूरन लाखों की बस करके अपने घर वापस जाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ी।

> *"घर वालों ने जमा पूँजी, सामान बेच कर पैसे भेजें है.. बस का किराया बहुत ज्यादा है पर भईया घर तो जाना है, यहाँ कितने दिन बिना राशन पैसे के बैठेंगे। सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी।" –HPWS सदस्य के साथ प्रवासी मज़दूर से हुई बात*

मज़दूरों ने बताया कि किस प्रकार किसी ने अपनी जमा पूँजी बेंच तो किसी ने गांव से उधार मंगवा कर बसों का किराया भरा और घर पहुंचे, जबकि लगभग 5000 सरकारी बसें हिमाचल में यूँ ही खड़ी रहीं। इस पूरी लूट को स्थानीय प्रशासन द्वारा नज़रअंदाज़ ही नहीं बल्कि एक तरह से बढ़ावा दिया गया।

लॉकडाउन के दौरान कितने मज़दूर हिमाचल से हुए वापिस? अस्पष्ट आंकड़े

Government of Himachal Pradesh
HP STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
STATE EMERGENCY OPERATION CENTER
MOVEMENT OF MIGRANTS OUTSIDE THE STATE
As on:- 23rd June, 2020 AT 12 NOON (Cumulative)

Sr. No.	Name of the reporting District	Name of the State where migrated	Numbers of migrants (cumulative)
1	Bilaspur	J&K(914), UP(1571), Rajsthan(3), Punjab(178), Chandigarh(20), Bihar(1151), Jharkhand (414), MP(29), Odisha(14), W.Bengal(283), Uttarakhand(20), Andhra(2),Chattisgarh(13)	4612
2	Chamba	J&K (728), UP(79), Punjab(65), Delhi(6),W.Bengal(9),Chandigarh(4),MP(28),Haryana(8), Nepal(31),Bihar(67)	1025
3	Hamirpur	J&K(1722), Punjab(67), UP(2439), Rajasthan(5), Bihar(1271), W. Bengal(203), Uttarakhand(13), Nepal(98),Chattisgarh(82),Jharkhnd(67),Delhi(6)	5973
4	Kangra	Different States (28 States & UTs)	21142
5	Kinnaur	J&K(227), UP(60), Uttarakhand (33), Punjab(5), Kerala(1), Sikkim(1),Bihar(126),WB(91),Assam(3),Jhar(32)	579
6	Kullu	J&K(1541), UP(2205), Punjab (147), Uttarakhand(89), Haryana (81), West Bengal(250), Delhi(276), Nepal(112),Bihar(418),Tamilnadu(6),Rajsthan(10)Gujrat(73), Jharkhand(73),Karnatka(4), Ladakh(8)	5293
7	Lahaul & Spiti	--	
8	Mandi	Different States	10925
9	Shimla	J&K(3607), UP(1738), West Bengal(88), Bihar (355), Jharkhand(145), Uttarakhand(81), Punjab(17), Haryana(15), Delhi(38), Sikkim(51),Raj.(10)	6145
10	Sirmour	J&K (363), Punjab(13), UP(1047), Haryana(20), Uttarakhand(293), Delhi(9), Chandigarh(1), Bihar(750), Rajasthan (2), MP(20), Jharkhand(207), Assam(31), Arunachal(19), Sikkim(1), Chhattisgarh(9),WB(51)	2836
11	Solan	J&K(1270), Haryana(14), UP (17563), MP(1774), Bihar (6450), Punjab(05), Uttarakhand (179), Delhi(11), West Bengal(424), Manipur(21), Jharkhand(2476), Arunachal(15), Ladakh(21), Rajasthan(77), Kerala(21), Sikkim(6), Chattisgarh(92),Odisa(36),Nagaland(15),Nepal(549)	31019
12	Una	J&K (604), Bihar(609), Haryana (36), Punjab (45), UP(3420), Rajasthan(28), MP(118), Uttarakhand (71), Jharkhand(92),Delhi(2),WB(216),Nepal(29)	5270
	Total		94819

चित्र 5: हिमाचल सरकार द्वारा प्रवासी मज़दूरों को उनके मूल राज्य भेजने संबंधित सार्वजनिक कि गयी जानकारी

2 सितंबर 2020 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध जानकारी अनुसार:

- हिमाचल से पहली श्रमक ट्रेन यू.पी के लिए 22 मई को चली जबकि 24 मार्च को राज्य में कर्फ्यू घोषित हुआ था।
- 13 मई से 24 जून 2020 तक के बीच 14 ट्रेन के माध्यम से कुल 13,183 प्रवासियों को प्रदेश सरकार द्वारा उनके मूल राज्य भेजा गया। 14 ट्रेनो (जिसमें 3 ट्रेन पड़ोसी राज्यों द्वारा) मे 5 ट्रेन उत्तर प्रदेश, 3 ट्रेन झारखंड, 3 ट्रेन बिहार, 1 पश्चिम बंगाल, 1 मनीपुर और 1 केरल को गयी।
- वहीं 11 से 27 मई 2020 तक के बीच, 15 ट्रेन के माध्यम से कुल 6215 प्रवासियों को हिमाचल में में सरकार द्वारा वापस लाया गया।
- जहाँ सरकार द्वारा संचालित श्रमिक ट्रेन के माध्यम से 13,183 लोग राज्य के बाहर गए वहीं रोड के माध्यम से 62,066 लोग जिसमें लगभग लोग खुद अपना खर्चा वहन का प्राईवेट माध्यमों से राज्य के बाहर गए। हालांकि यह आंकडा कुल मिलाकर 75 हज़ार के आस पास बनता है परन्तु इसी विभाग द्वारा प्रकाशित दुसरे स्रोत से उपलब्ध जानकारी अनुसार (चित्र 5) 23 जून तक हिमाचल से 94,819 प्रवासी प्रदेश से अपने मूल राज्य वापस लौटे। क्योंकि हिमाचल सरकार द्वारा तो सिर्फ 6 राज्यों के लिए ही श्रमिक ट्रेन चलायी गयी तो बाकी राज्यों के प्रवासी मज़दूर वापस गए उनको स्वयं ही प्रबंध करना पड़ा। तो कुल कितने प्रवासी इस बीच राज्य से

लौटे यह साफ़ नहीं पर इतना तो स्पष्ट है कि अधिकतर खुद अपने खर्चे से गये।
• साथ ही इन आंकड़ो में उन प्रवासियों की संख्या तो नही है जो पैदल लौटे, जंगलों के रास्तों से आये और गये या जिन्होंने लिफ्ट ली। इन आंकड़ों के बीच गौर करने वाली बात ये भी है कि ये सभी आंकड़े प्रवासियों के हैं जिनका प्रवासी मज़दूर एक हिस्सा हैं। इन आंकड़ों में प्रवासी मजदूरों कि संख्या स्पष्ट नही होती।

साथ ही प्रवासी मजदूरों से सम्बंधित हिमाचल सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गए 31-05-2020 के एफिडेविट (रीट सिविल याचिका संख्या 6 आफ़ 2020) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 11,95,248 राशन पेकेट का वितरण फंसे प्रवासी व अन्य जरूरतमंद लोगों को किया गया. लेकिन इसमें यह उल्लेखित नहीं किया गया की कितने लोगों को जरूरत थी और कितनी बार राशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि राज्य सरकार कितने परमिट पास जारी किये और कितने लोगों ने पंजीकरण किया इसकी जानकारी तो दी लेकिन इससे सरकार की भूमिका की समीक्षा करना कठिन है।

श्रम कानूनों में ढील

केंद्र सरकार द्वारा श्रम क़ानूनों में बदलाव करने का प्रयास काफी लम्बे समय से चल रहा है लेकिन मज़दूरों के संगठित विरोध को देखते हुए सरकार इसमें सफल नही रही। जबसे लॉकडाउन शुरू हुआ तबसे राज्य सरकारों में श्रम क़ानूनों को ख़तम करने कि एक होड़ सी शुरू हो गयी है और इसमें हिमाचल प्रदेश भी पीछे नही है। हिमाचल सरकार ने श्रम क़ानूनों के तीन मुख्य अधिनियमों को बदलने का फैसला लिया है: कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और ठेकेदार श्रमिक अधिनियम। सरकार इन अधिनियमों में बदलाव करने के पीछे का कारण प्रदेश कि अर्थव्यवस्था में हुए गिरावट को बताती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के गिरने में मज़दूरों कि क्या गलती? और क्या अर्थव्यवस्था को सक्रिय करने का एक मात्र हल प्रवासी मज़दूरों के कन्धों को कुचलने, उनके अधिकारों के हनन पर टिके इन संशोधनों से किस तरह कि भलाई करने का दावा देती है सरकार? पहले से ही कार्य क्षेत्र की असुरक्षाओं और वंचनाओं को लेकर संघर्ष कर रहे प्रवासी मज़दूर, इन संशोधनों के बाद खुद को शोषण की कार्य खाई में गिरा पायेंगे।

कारखाना अधिनियम में किए गए संशोधन

• 8 घंटे कि शिफ्ट को बढ़ा कर 12 घंटे का बना दिया गया है और 16 घंटे तक का ओवरटाइम करवाया जा सकता है। आज से 150 साल पहले जब मज़दूर आन्दोलनों की शुरुआत हुई थी तब मज़दूरों कि प्रमुख मांग यही थी कि वे दिन में 16 नही सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, जिसमे उनकी जीत भी हुई। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले मज़दूरों के कार्य-समय को बढ़ाना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि ILO कन्वेंशन का भी उल्लंघन है, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है।

• जिन कारख़ानों में 40 या उससे नीचे मज़दूर काम करते हैं उन कारख़ानों में यह अधिनियम लागू नही होगा। अगर हम उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण देखें जो आखिरी बार 2017-18 में हुआ तो उससे हमें यह पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल पंजीकृत कारख़ानों कि संख्या 2255 हैं जिसमे से लगभग 1100 कारखाने ऐसे हैं जिसमे 40 से नीचे मज़दूर काम करते हैं[57]। जबकि यह आंकड़ा वास्तविकता से बहुत दूर हैं क्योंकि ज़्यादातर कारखाने तो कहीं पंजीकृत हैं ही नहीं। ऐसे में इतने सारे कारख़ानों का कारखाना अधिनियम से बाहर होना बहुत भयावह है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए गए संशोधन

• जिन औद्योगिक इकाइयों में 200 से 300 या उससे अधिक मज़दूर काम करते हैं उन उद्योगों को मज़दूरों कि छटनी या कंपनी बंद करने से पहले राज्य शासन कि स्वीकृति नही लेनी होगी। इस संशोधन से पहले ऐसे औद्योगिक इकाइयां

जिनमे मज़दूरों कि संख्या 100 से अधिक होती थी उन्हें छटनी या कंपनी बंद करने से पहले लिखित में कारण बता राज्य शासन कि स्वीकृति लेनी पड़ती थी। अगर मज़दूर संगठनों को यह लगता था कि स्वीकृति गलत तरह से दी गयी है तो उनके पास यह अधिकार था कि वे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन इस संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश कि 90% से ज्यादा फ़ैक्टरी इस अधिनियम से बाहर हो जाएँगी।

ठेका श्रमिक अधिनियम में किए गये संशोधन

- *जिन कंपनियों में 40 या उससे कम मज़दूर काम करते हैं उन मे ठेका श्रमिक अधिनियम अब लागू नही होगा। इसके कारण पहले जो ठेकेदारों को श्रम विभाग से लाइसेंस लेना होता था जिसमे ठेकेदार मज़दूरों कि पूरी जानकारी श्रम विभाग को देते थे, अब वो लेने कि ज़रूरत नही होगी। इससे जो भी मज़दूर ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे होंगे उन्हें मन चाहे समय और वेतन दे कर काम करवाया जा सकेगा। साथ ही बाल मज़दूरी के बढ़ने का रास्ता इस संशोधन से साफ़ होगा।*

हिमाचल के इतिहास में काला दिन (21 अप्रैल 2020)

> *जिन मज़दूरों ने कड़ी मेहनत से उद्योगों के माल की पूर्ति की, जिन मज़दूरों की बदौलत उद्योगपतियों ने अरबों रुपयों का मुनाफ़ा कमाया, करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित की एवं जिन मज़दूरों के ही सहयोग से उद्योगों के कुशल श्रमिकों ने उद्योगों की कार्यकुशलता के विश्व रिकॉर्ड को पार किया, उनके ही क़ानूनों को खत्म करना आज मानवीय दृष्टि से किसी भी हालत में शोभा नहीं देता है।" –विजय शर्मा, अधिवक्ता (संयुक्त ट्रेड यूनियन)*

सामाजिक संगठनों के प्रयास व भूमिका

देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी जैसे-जैसे ख़बरों के द्वारा प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं से जुड़ी बात फैली वैसे ही सामाजिक संस्थाओं ने अलग-अलग तरीकों से राहत का कार्य शुरु किया। इसके साथ ही संगठनों ने लॉकडाउन और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर प्रेस विज्ञप्ति से लेकर, साझे रूप से मुद्दों को उठाने, राजनैतिक दबाव बनाने में भी ज़िम्मेदारी निभाई। HPWS ने भी लॉकडाउन 1 कि शुरुआत से अलग अलग विभागों को समय समय पर ज्ञापन तथा मांग पत्र भेजे। इनमें गृह मंत्रालय, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश में आयुक्त किए गये नोडल विभागों या जिन प्रवासी मज़दूरों से संबंधित बात कि गयी उनके मूल राज्य के नोडल अधिकारी, नेपाल एम्बेसी से नेपाल के मज़दूरों के उनके घर लौटने की चर्चा और असम कि महिला प्रवासी मज़दूरों के मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग या श्रम आयोग तक बात पहुँचना भी शामिल है।

चित्र 6: HPWS द्वारा जारी हेल्पलाइन सेवा चित्र 7: हाईवे हेल्प, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों द्वारा जारी एक पहल जिसमे पैदल चल रहे प्रवासी मज़दूरों को 50 से 100 कि.मी कि शटल सेवा द्वारा राहत स्थानों तक छोड़ना, उनके राज्यों तक बस के माध्यम से छोड़ने की व्यवस्था करना व दो राज्यों के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने कि कोशिश द्वारा एक राज्य के मज़दूरों को दूसरे राज्य द्वारा कि गयी व्यवस्था का लाभ उपलब्ध करवा पाना

मीडिया पर दबाव

हालांकि शुरूआती दौर में प्रदेश की मीडिया ने लॉकडाउन में उठे मुद्दों पर कम और कोविड-19 के केस व तबलीग़ जमात की ख़बरों को ज्यादा दिखाया। लेकिन स्थानीय समस्याओं और मज़दूरों के संदर्भ में आगे कुछ पत्रकारों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर प्रदेश के कोने कोने से प्रवासी मुद्दों और आ रही समस्याओं को उजागर किया। चाहे कश्मीरी मज़दूरों के साथ हुई हिंसा की घटना हो या बद्दी-सोलन, सिरमौर से पैदल चलते मज़दूरों के हुजूम, मीडिया ने लगातार रिपोर्टिंग की। अफ़सोसजनक बात है कि प्रवासी मज़दूरों के संदर्भ में राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने पर प्रदेश के सोलन, चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों के कुछ 10 पत्रकारों पर क़ानूनी मुक़दमे दर्ज किये गये और फेक न्यूज़ फ़ैलाने का आरोप लगाते हुए उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी गयी[58]। ऐसे समय में राज्य सरकार द्वारा लिए गए यह कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का सीधा हनन था बल्कि यह भी दर्शाता है की राज्य व्यवस्था प्रवासी मज़दूरों की व्यथा को भी छिपाना और दबाना चाहती थी।

4.2. केस स्टडी

नेपाली प्रवासी मज़दूर की व्यथा: केस स्टडी

नेपाल के प्रवासी मज़दूरों के पलायन का सबसे बड़ा कारण गरीबी, खाद्य असुरक्षा और भारत में मिलने वाले निरंतर रोज़गार व अधिक आय की कमी है[59]। इन कारणों के चलते वे या तो नेपाल के तराई के इलाकों में मज़दूरी करते हैं या फिर रोज़गार की खोज में भारत आते हैं। भारत में ये मूलतः चौकीदारी, पलेदारी, ढाबे, रेड़ी चलाने का काम व हिमालयी क्षेत्र में सेब के बागानों और निर्माण कार्यों में मज़दूरी करते हैं। हिमाचल में आने वाले अधिकतर नेपाली मज़दूर नेपाल के बैताडी, बनके, लामजुंग और पश्चिम रुकम व पूर्वी रुकम जिलों से आते हैं और ज्यादातर ऊपरी हिमाचल के इलाकों जैसे किन्नौर, रोहड़ू, रामपुर, शिमला, कुल्लू, करसोग, सिराज आदि जैसे क्षेत्रों में आकर मुख्यतः सेब के बागानों में काम करते हैं।

चार्ट 4: 2011 जनगणना आनुसार नेपाल से हिमाचल आने वाले प्रवासियों का जिलावार वितरण(हजार में)

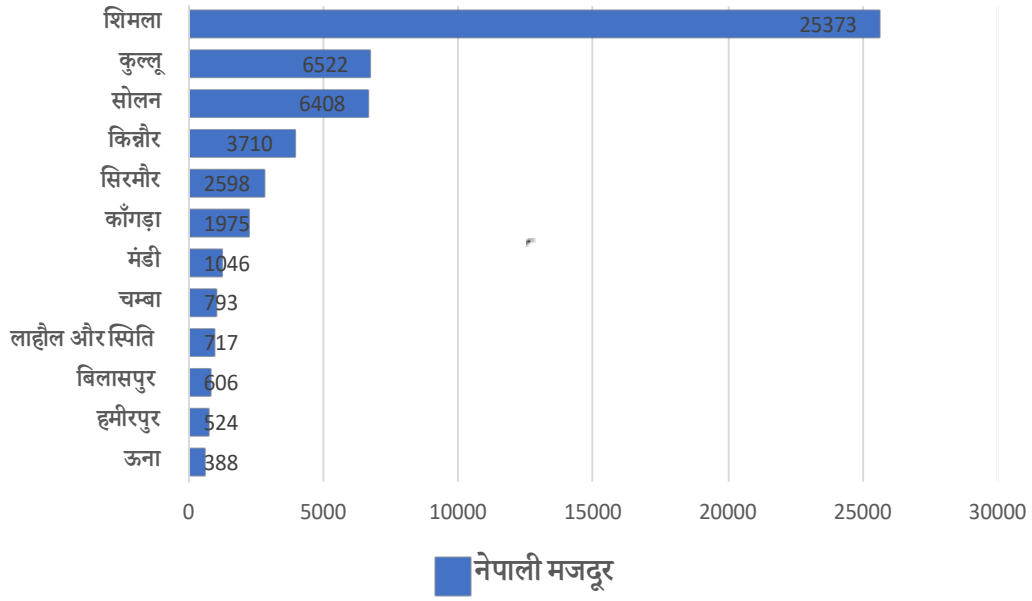

नेपाली प्रवासी मज़दूरों का प्रदेश को योगदान

प्रदेश की जीडीपी में 3.5 फीसदी योगदान रखने वाली सेब बागवानी का हर साल 4500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इस कारोबार में नेपाल से आने वाले दो लाख से अधिक नेपाली मज़दूरों का अहम योगदान रहता है। जिनमें से 80 से 90 हजार मज़दूर फिलहाल तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद हैं, लेकिन मज़दूरी करने के लिए हर साल हिमाचल आने वाले सवा लाख के करीब मज़दूर कोरोना संक्रमण से लगी पाबंदियों की वजह से नेपाल में अपने घरों में फंसे हुए है[60]। नेपाली मज़दूरों के आंकड़े हर जगह अलग-अलग बताए गये हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 5 लाख नेपाली मज़दूर बागवानी व अन्य गतिविधियों में कार्य करते हैं[61]।

लॉकडाउन से जूझता नेपाली प्रवासी मज़दूर

- लॉकडाउन के समय इन मज़दूरों के लिए अन्तरराष्ट्रीय गाइडलाइन्स नही बनाई गयी थी जिसका समय समय पर स्थानीय प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किया गया व नेपाली मज़दूरों को सरकारी व्यवस्था कर घर न भेजे जाने का कारण भी बताया गया।

• सरकार व स्थानीय प्रशासन की ज़िम्मेदारी थी कि वे इनके लिए उत्तरप्रदेश के जमुना नाका, बहरैच जिले तक जाने की व्यवस्था हेतु सरकारी वाहनों का इन्तज़ाम करते जहाँ से बार्डर पार कर इन लोगों ने नेपाल में प्रवेश किया।

• लेकिन इसके एकदम विपरीत रामपुर और शिमला से घर के लिए निकले हर नेपाली प्रवासी मज़दूर ने कम से कम 5000 रूपए नकद दे कर निजी बस या टैक्सी कर, जिसके लिए हर व्यक्ति ने या तो क़र्ज़ लिया या फिर घर से पैसे मंगवाए।

• स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गये इ-पास देते समय स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर बीच रास्ते में उन्हें किसी राज्य में रोका जाता है या किसी और तरह की दिक्कत आती है तो उसके लिए वे खुद ज़िम्मेदार होंगे।

• इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के बहरैच के जिला प्रशासन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए जितने भी नेपाल के मज़दूर रूपड़िया बार्डर पर पहुँच रहे थे उनके रहने की व्यवस्था व बार्डर पार कर घर जाने की व्यवस्था का ध्यान रखा।

• एक के बाद एक लॉकडाउन ने न सिर्फ इन प्रवासी मज़दूरों की कमर तोड़ने का काम किया बल्कि आने वाले समय मे सेब की खेती और राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए न तो सरकार द्वारा इन्हें राहत संबंधित कोई मदद दी गयी और न ही सरकार इन्हें जाने देने के हित में थी, कैसे न कैसे इन्हें हिमाचल में ही रोक कर रखने की मंशा साफ़ थी। सरकार व स्थानीय प्रशासन की नज़रंदाज़ी और असंवेदनशीलता ने इन मज़दूरों को वापस भारत में आकर रोज़गार ढूंढने की बात पर फिर से सोचने के लिए मजबूर भी किया है।

***फोटो 4:* किन्नौर में सेब की पेटियों को ढ़ोते व जमा करते नेपाली मजदूर**

असम महिला श्रमिकों का शोषण: केस स्टडी

लॉकडाउन के बीच में असम राज्य से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बद्दी में एक कंपनी में काम कर रही असम राज्य की महिला श्रमिकों के वापस लौटने की व्यवस्था को लेकर HPWS के साथियों को संपर्क किया था। महिला कामगारों से बातचीत पर पता चला कि वो सभी काम के लिए पहली बार अपने ज़िले से बाहर निकली थी और फरवरी महीने में ही दूसरे प्रदेश हिमाचल में आये और तब से यहाँ फंसे हुए हैं । 18-24 वर्ष के बीच की यह युवा व एकल महिला साथियों ने बताया कि वो जोराहाट जिले के रहने वाले थे और बहुत गरीब परिवार से थे जो चाय के बागानों में मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करते थे।

दोहरे लॉकडाउन कि शिकार असम कि महिला प्रवासी मज़दूर

- इन महिलाओं को ग्रामीण आजीविका योजना के तहत पार्टनर ट्रेनिंग संस्था ने सिलाई कि ट्रेनिंग देने के पश्चात रोज़गार के लिए बद्दी भेजा था। कई महिलाओं ने बताया कि वो लोग राज्य से बाहर इतनी दूर आना नहीं चाहते थी पर उनको डरा-धमका कर ज़बरदस्ती इस कंपनी में भेजा गया जहाँ उनको उनके कौशल अनुसार काम न देकर दूसरा कार्य दिया गया।
- कंपनी में शुरुआत से ही उनके ऊपर सख्ती और पाबंदियाँ लगाई गई, उनके होस्टल से निकलने पर रोक और सवाल करने पर उनको कंपनी और ट्रेनिंग संस्था दोनों के द्वारा डांटा फटकारा गया।
- कंपनी द्वारा श्रमिकों को तय वेतन भी नहीं मिला। इस सबके बीच लॉकडाउन की स्थिति में महिलाओं में वापस लौटने की मांग तेज़ हुई लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की गयी बल्कि उनके बारे में भ्रम फैला कर श्रमिकों के बीच ही अलगाव पैदा किया गया। हालांकि हिमाचल मज़दूर विभाग को भी शुरुआत में इसकी सूचना दी गयी लेकिन कंपनी ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जांच का निपटारा कर दिया।

हर कोशिश आज़माने के बाद श्रमिकों ने जन संगठनों के साथ संपर्क कर पूरी स्थिति को सामने रखा। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस केस में असम से लेकर हिमाचल तक सरकारी रोज़गार योजनाओं से लेकर कांट्रेक्टर संस्थाओं से लेकर कंपनी हर कोई दोषी था। यह न केवल ज़बरदस्ती किसी को शक्ति का प्रयोग कर रोकने की कोशिश थी बल्कि महिलाओं, श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन, असुरक्षित कार्यक्षेत्र, श्रमिकों के साथ भेदभाव को दर्शाता एक बहुत बड़ा श्रमिक ट्रेफिकिंग का रैकेट जैसा था।

जन संगठनों के प्रयास

इन महिला साथियों को वापस भेजने का सफ़र लंबा और समन्वय बहु-स्तरीय था जिसमें दस्तावेजीकरण से लेकर हिमाचल-असम की सरकारों और प्रशासन पर दबाव, पुलिस के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित कंपनी से निकालना, उनके परिवारों को सूचित करना, उनकी सफ़र के दौरान राशन से लेकर सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। इनके घर वापस लौटने और मुद्दे पर देश के कई महिला व अन्य जन संगठनों से समर्थन रहा[62]।

फोटो 5: असम महिला श्रमिक, बद्दी से दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर सफ़र करती हुईं

इन महिला श्रमिकों के साथ हुए इस अनुभव ने इनकी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सेहत को गहरी चोट पहुँचाई है। यह बहुत ही गंभीर और जटिल मुद्दा है- जो न केवल इस आर्थिक ढाँचे में दमन होते श्रमिक की स्थिति स्पष्ट करता है बल्कि राजनैतिक योजनाओं कि असलियत उजागर करते हुए पलायन पर सवाल करता है कि आखिर एक मज़दूर के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन ?

फोटो आभार: सुमित महर

5. आगे की राह

5.1. कहाँ हैं आज प्रवासी मज़दूर और क्या है भविष्य की चुनौतियाँ?

इस गहन संकट के दौर के बाद आज कहाँ खड़े हैं प्रवासी मज़दूर, यह सवाल गौण होने की कगार पर है। समाज की और सरकार की नज़रों में इस तबके की प्राथमिकता केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापिस लाने हेतु इनके श्रम के उपयोग तक सीमित नज़र आ रही है। हिमाचल या अन्य राज्यों में भी जहां घर भेजने और सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विलम्ब किया गया वहीं पूरे अनलॉक से पहले ही प्रवासी मज़दूरों को वापिस लाने के लिए कई कृषक, उद्योगपति और ठेकेदार तत्पर रहे।

अपने गाँव और क्षेत्रों में वैसे ही आजीविका के स्रोतों के अभाव में घिरे कुछ मज़दूर अब वापिस लौट रहे हैं परन्तु महामारी के फैलाव के चलते अनलॉक की घोषणा के बावजूद असमंजस की स्थितियाँ हैं। हाल ही में हिमाचल के मंडी और कुल्लू जिलों में बगीचों और खेत मज़दूरी के लिए राज्य में लौटे प्रवासी कोरोना संक्रमित निकले और चूंकि अधिकतर मज़दूर एक साथ छोटे छोटे किराए के कमरों में रहते हैं – तो दूसरे मज़दूरों में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है[63]।

आज इस महामारी और लॉकडाउन के साथ जीते हुए 5 माह बीत गये हैं - अभी भी हमारी सरकारें असंगत और दिशाहीन मालूम हो रहीं हैं – इसका सबसे बड़ा कारण केवल यह नहीं कि इस महामारी से झूझना ही कठिन है – बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के दबाव, इनके द्वारा पैदा की गयी विषमताएं भी ऐसी हैं कि ऐसी आपदाओं की मार से ये और गहरी, पेचीदा तथा नई चुनौतियाँ सामने ला रहीं हैं।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण

प्रवासी मज़दूरों की व्यथा ने देश में मौजूद पूँजी और श्रम के बीच के फासले और सरकारी नीतियों की असफलता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसमें सबसे मुख्य रूप से पिछले 3 दशकों में आर्थिक सुधार के नाम पर "विकास मोडल" की स्थापना का मुद्दा है जिसके चलते श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक हालत पहले से खस्ता हुयी है।

1990 में शुरू हुए आर्थिक वैश्वीकरण, नवउदारवाद और निजीकरण से मज़दूरों पर निम्न प्रभाव पड़े हैं:

- **बढ़ते असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक:** एक तरफ आर्थिक बढ़ोतरी हैं तो दूसरी तरफ कुल श्रमिकों में संगठित क्षेत्र आज भी सिर्फ 8% भाग हैं। सबसे कम सुरक्षित और सबसे अधिक कमजोर असंगठित मज़दूर वर्ग है।
- **सस्ते श्रम के माध्यम से शोषण:** बढ़ते निजीकरण के साथ ठेकेदार लॉबी का खुलना जो अक्सर झूठ फरेब आधी जानकारी पर श्रमिकों को लाते हैं और असंगठित क्षेत्र में धकेलते हैं जहाँ कोई पेंशन या बचत के साधन तो दूर कार्य सुरक्षा भी नहीं होती।
- **घटते प्राथमिक और विनिर्माण क्षेत्र और बढ़ते सेवा क्षेत्र के कारण बढ़ता अनौपचारिक श्रम:** कुटीर उद्योग (उदाहरण के लिए हथकरघा/बुनकर) और कृषि आधारित क्षेत्र कमज़ोर हुए हैं जिससे इन क्षेत्रों के श्रमिकों के कौशल, आय और गरिमा कम हो रही है और मजबूरन पलायन बढ़ा है। इस संबंध में एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस से एम्प्लॉयमेंट फॉर सर्विस की ओर बढ़ता कार्यबल कामगारों को राज्य की रोजगार योजनायों व श्रम सुविधाओं से भी वंचित करता है।
- **मज़दूरों के पास कोई सौदाकारी शक्ति नहीं:** अनौपचारिक क्षेत्र व संगठित क्षेत्र के लिए भी कमज़ोर होते यूनियनो कि वजह से मज़दूरों को संगठित करना मुश्किल होता है। पार्टी यूनियनों कि राजनीतिक इच्छाओं ने हालात और ख़राब कर दिए हैं।
- **श्रम कानूनों का गैर कार्यान्वयन और कमजोर करना:** पिछले वर्षों में लगातार श्रम कानूनों को कमज़ोर किया गया है और यह लॉकडाउन के बीच भी पूँजीपतियों को फायदा देने के लिए किया गया है – इससे आने वाले समय में भी मज़दूरों का शोषण बढेगा। अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम (ISWMA ,1979), में प्रवासी मज़दूरों का पंजीकरण नहीं होता ऐसे में मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन और सरकारी आंकड़ों में अनेक त्रुटियाँ हैं। ISWMA की भी कई कमियाँ हैं जैसे यह अपंजीकृत ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों की निगरानी नहीं करता और अंतर-राज्य सहयोग-समन्वय के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं

देता है। या फिर प्रवासी मजदूरों की सामजिक सुरक्षा, महिला प्रवासी मजदूरों व बच्चो की वंचनाओं पर भी कुछ नहीं कहता।

- **बच्चे और महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित, सबसे अधिक असुरक्षित:** प्रवासी मज़दूरों में यह तबका शोषण – यौन/हिंसा, भेदभाव आदि का अधिक शिकार और दोहरी वंचनाओं में घिरा है। साथ ही आर्थिक स्तर पर भी इस तबके को दोगुने भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन के कारण पलायन:** कुछ ऐसे क्षेत्र राज्य हैं जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से भूमिहीनता तथा सामंतवादी/जातिवादी प्रथाएं हावी रही और आज भी मज़बूत हैं जिसके चलते मजबूरी में पलायन अधिक हैं। असमानताओं के बढ़ते दौर में इन समस्याओं का हल होने के बजाए ये अधिक विकट रूप से प्रभावी हुयी हैं।
- **प्रवासी मज़दूरों के साथ भेद भाव:** प्रवासी मज़दूरों के प्राप्त करने वाले समाज में बाहरी लोगों के रूप में की जाने वाली पहचान और उसके साथ अधिकारों और हकों के प्रावधान में भेदभाव अक्सर कई समूहों के साथ होने वाले आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार को और सख्ती से स्थापित करती है।

यह कुछ अहम सवाल और बिंदु हैं जिन पर हर राजनीतिक पार्टी, वर्तमान सरकार या आम नागरिक सभी के बीच एक गहन मंथन कि ज़रूरत है।

इसके अलावा कोविड महामारी और लॉकडाउन से जुड़े कुछ व्यापक सवाल आज बने हुए हैं:

- **पूर्ण और अचानक लॉकडाउन एक मात्र उपाय?** कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने व उससे बचाव के लिए 'लॉकडाउन' को सिर्फ भारत में ही नही लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एकमात्र व ज़रूरी कदम बताया गया। परन्तु हर देश में लॉकडाउन प्रभावी नहीं रहा और कई ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन जहां पूर्ण लॉकडाउन नहीं किया गया। भारत, जहां आज महामारी का फैलाव और मौतें बढ़ रहीं हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
- **केन्द्रीय योजना और दूरदर्शिता का अभाव:** गौर करने कि बात यह भी है कि जब देश में बहुत ही कम केस थे तब भारत सरकार ने एक अत्यंत जटिल लॉकडाउन की घोषणा की और अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढती जा रही है और दिल्ली जैसे राज्यों में दिन के 50,000 नए केस निकल कर आ रहे हैं, तो सरकार लॉकडाउन हटाने, बाज़ार पूरी तरह से खोल रही है।
- **केंद्र सरकार की मनमानी – जवाबदेही का अभाव:** पी.एम कोविड टास्क फ़ोर्स जिसका गठन केंद्र सरकार को इस महामारी से निपटने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था उसमें शामिल वैज्ञानिको की टीम के कई सदस्यों ने यह बयान दिया कि केंद्र सरकार के द्वारा उठाये गये कदमों में कोविड टास्क फ़ोर्स के सदस्यों की सलाह नही ली गयी[64]।
- **क्या लॉकडाउन के समय का सही उपयोग** करते हुए भारत की परीक्षण क्षमता बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने की तरफ कदम उठाये गये? इंडिया स्पेंड द्वारा प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो वेबसाइट में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर किए गये विश्लेषण अनुसार 20 मई 2020 तक प्रधानमंत्री केयर फंड में 9,677.9 करोड़ कि राशि जमा हो चुकी थी। लेकिन हैरानी कि बात है कि जिस राहत कोष को बनाया ही जनता कि सेवा के लिए गया फिर चाहे वो प्रधानमंत्री केयर फंड हो या मुख्यमंत्री राहत फंड, उसमें आई राशि कि जानकारी न तो सार्वजनिक है, न सूचना के अधिकार के तहत आती है और न ही कैग के तहत इसका ऑडिट किया जा सकता है[65]।

5.2. भविष्य के लिए कुछ प्रस्ताव

प्रवासी मज़दूरों के मुद्दों को सिर्फ़ सवेंदना और करुणा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक बुनियादी राजनैतिक, संवैधानिक, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। इस परिपेक्ष्य से संबंधित निम्न सिफ़ारिशें हम इस रिपोर्ट के माध्यम से हिमाचल तथा केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं:

1. जानकारी सार्वजनिक करना: कोविड-19 के दौरान किये गये राशन वितरण, प्रवासी मज़दूरों से जुड़ी सारी जानकारी और अभी चल रही सरकारी योजनाओं व स्कीमों के बारे में जानकारों को साझा और सार्वजनिक की जाये- यह वेब पोर्टल के अलावा सभी स्थानीय हेल्पडेस्क पर उपलब्ध हो तथा मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाए। इसके साथ ही 2011 जन गणना के टेबल D-8 व D-9 के प्रवासी व खेत मजदूर के आकंड़े भी प्रकाशित किये जाएँ।

2. राज्य में प्रवासी मज़दूरों की स्थितियों पर एक सरकारी मसौदा बनाना: इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी/टास्क फ़ोर्स का गठन कर मज़दूरों की आज की स्थितियों तथा आवश्यकताओं पर एक सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट अगले 6 माह के अन्दर जारी होनी चाहिए – इसमें श्रम विभाग और अन्य सरकारी विभागों के अलावा, गैर सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों की भूमिका अहम होनी चाहिए।

3. लक्ष्य आधारित लाभ व राहत की बजाय एक यूनिवर्सल दृष्टिकोण: प्रवासी मजदूरों के प्रति एक केन्द्रित या लक्ष्य बाधित रवैये के बजाय व्यवस्था को एक यूनिवर्सल द्रष्टिकोण अपनाते हुए यूनिवर्सल सामाजिक सुरक्षा, यूनिवर्सल रोजगार लाभ, यूनिवर्सल स्वास्थ्य देखभाल, यूनिवर्सल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में हालांकि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की घोषणा केंद्र द्वारा की गयी है।

4. राहत, आर्थिक और अन्य सुविधाएँ: प्रवासी मज़दूर जो राज्य में मौजूद हैं तथा आना चाहते हैं उन सभी प्रवासी मज़दूरों को राशन कार्ड की अनिवार्यता हटाते हुए, राशन वितरण प्रणाली की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँ। इसके अलावा उनकी रोज़गार गारंटी, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाये तथा प्रवासी मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं को मज़बूत और सरल भी किया जाए। प्रवासी मज़दूरों के आवास के लिए किराया माफ़ किये जाने के निर्देश पारित किये जाएँ।

5. आवास सुविधाएँ: प्रवासी व अन्य सभी मज़दूर जो हिमाचल में सफ़ाई कर्मचारी , नगर पालिका व अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कामगार हैं और झुग्गी- झोपड़ी में रहने वाले दिहाड़ी या ठेकेदारी मज़दूर को प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं के तहत आवास सुविधा दी जाए और इन बस्तियों को स्लम नोटिफिकेशन के तहत दर्ज किया जाए ताकि शौच, स्वास्थ्य व अन्य जरूरी स्कीमों का फायदा लोगों को मुहैया हो। इस संबध में सरकार को सरकारी श्रमिक होस्टल व्यवस्था को भी स्थापित करने पर सोचना चाहिए जिसके नगर निगम या श्रम विभाग द्वारा संचालित किया जाना चाहिए न की प्राइवेट कंपनियों द्वारा।

6. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन: प्रवासी मज़दूरों के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस बीच न्यायालयों द्वारा पारित किये गये आदेशों का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए – और पंचायत, ब्लाक, तहसील और जिला स्तर पर उनकी मदद के लिए हेल्पडेस्क तथा शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित और क्रियान्वित करना चाहिए।

7. श्रम कानून और श्रम विभाग का मजबूतीकरण: राज्य के श्रम कानूनों में किये गये बदलावों को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए और मज़दूरों के अधिकारों का हनन न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए श्रम विभाग द्वारा तुरंत कदम उठाये जाने चाहिए। ठेकेदारों द्वारा शोषण को खत्म करने के लिए श्रम विभाग को समयबद्ध

'शिकायत निवारण' प्रणाली तथा श्रम न्यायालयों को मज़बूत बनाने की ओर तुरंत कदम उठाने होंगे।

8. ISWMA 1979 के अंतर्गत प्रदेश में काम कर रहे सभी प्रवासी मज़दूरों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना आवश्यक है। इसमें श्रम विभाग को जिला वार इसका उलंघन्न करने वाली कंपनियों/उद्योगों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि , 40 साल पहले जारी किये गए इस अधिनियम में भी सुधार और प्रावधानों के बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत है।

9. मजबूरन पलायन को रोकना और स्थायी आजीविका के साधन खड़े करना: राज्य/राज्यों से मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने/कम करने के लिए एक दूरदर्शीय योजना बनाना जिसमें – कुशलता बढ़ाना, ज़मीन/जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविकाओं को मज़बूत करने के लिए कदम उठाना और परंपरागत जीविकाओं/कुटीर उद्योगों, कृषि को मज़बूत करने के लिए नीतियाँ बनाना शामिल हो।

संदर्भ सूची तथा नोट्स

1 **Iyer, M. (2020, June 20). Migration in India and the impact of the lockdown on migrants. (PRS LEG ISLATIVE RESEARCH)** Retrieved from https://www.prsindia.org/theprsblog/migration-india-and-impact-lockdown-migrants

2 **Puri, L. (2020, June 4). The Economic Times.** Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/view-india-should-use-migrant-labour-crisis-to-transform-economy-society/articleshow/76184723.cms

3 **Ministry of Home Affair. (2001). Census India.** Retrieved from https://www.censusindia.gov.in/Tables_Published/D-Series/Tables_on_Migration_Census_of_India_2001.aspx

4 **Ministry of Home Affairs. (2011). Census India.** Retrieved from https://censusindia.gov.in/2011census/migration.html

5 **Bhatnagar, G. V. (2020, June 5). The Wire.** Retrieved from https://thewire.in/labour/labour-ministry-migrant-workers-relief-camps

6 **Varma, R. A. (2014, March 3)**. Retrieved from **Migration Policy Institute:** https://www.migrationpolicy.org/article/internal-labor-migration-india-raises-integration-challenges-migrants

7 **Aajeevika Bureau.** Retrieved from http://www.aajeevika.org/labour-and-migration.php

8 **Saha, K. C.** Retrieved from https://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/Inter-state%20migration_IUSSP13.pdf

9 **Phull, A. (2019, April 17). The Statesmen.** Retrieved from https://www.thestatesman.com/cities/far-good-apples-himachal-1502746460.html

10 **Ministry of MSME, GOI. (2015 - 16).** Retrieved from http://dcmsme.gov.in/dips/state_wise_profile_16-17/STATE%20INDUSTRIAL%20PROFILE_himanchal.pdf

11 **Departement of Labour& Employment. (2020, August 26).** Retrieved from https://himachal.nic.in/index1.php?lang=1&dpt_id=14&level=0&linkid=404&lid=728

12 **(2020, April). Dainik Bhaskar.** Retrieved from https://www.bhaskar.com/national/news/the-most-affected-unorganized-sector-93-of-the-workforce-these-41-crore-people-lag-behind-in-economic-security-127065266.html *(2019 में जारी हुए इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल वर्क फोर्स में से 93 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। वहीं 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह आंकड़ा 85 फीसदी है।)*

13 **White, B. (2020, May 20). The Wire.** Retrieved from https://thewire.in/political-economy/the-modi-sarkars-project-for-indias-informal-economy

14 **(2020, May 18). The Indian Express.** Retrieved from https://indianexpress.com/article/india/coronavirus-lockdown-count-of-migrants-killed-in-accidents-enroute-their-home-states-6412475/

15 **Gupta, S. (2020, August 14). Goan Connection.** Retrieved from https://en.gaonconnection.com/almost-every-fourth-migrant-worker-returned-home-on-foot-during-the-lockdown-33-want-to-go-back-to-cities-to-work/ *(गाँव कनेक्शन ने 23 राज्यों में 25,371 ग्रामीण निवासियों (प्रवासी श्रमिकों सहित) का सर्वे कर रिपोर्ट किया जिसका डिजाइन व डेटा का विश्लेषण नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा किया गया था)*

16 **(2020, July 4). THEJESH GN.** Retrieved from https://thejeshgn.com/projects/covid19-india/non-virus-deaths/#Table

17 **Dutta, A. (2020, June 2). Hindustan Times.** Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/198-migrant-workers-killed-in-road-accidents-during-lockdown-report/story-hTWzAWMYn0kyycKw1dyKqL.html *(डेटा को मीडिया-ट्रैकिंगऔर मल्टी-सोर्स सत्यापन का उपयोग कर के संकलित किया गया है)*

18 **(2020, April 8). The Wire Hindi.** Retrieved from https://m.thewirehindi.com/article/corona-virus-lockdown-condition-of-migrant-workers/116487

19 **(2020, May 1). Stranded Workers Action Network.** Retrieved from https://covid19socialsecurity.files.wordpress.com/2020/05/32-days-and-counting_swan.pdf

20 **SWAN, (2020, April 15).** Retrieved from **The Hindu:** https://www.thehindu.com/news/resources/article31442220.ece/binary/Lockdown-and-Distress_Report-by-Stranded-Workers-Action-Network.pdf

21 **Mahale, S. B. (2020, May 8). The Hindu.** Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/other-states/16-migrant-workers-run-over-by-goods-train-near-aurangabad-in-maharashtra/article31531352.ece

22 **Bhati, Y. (2020, May 21). The Hindustan Times.** Retrieved from https://www.hindustantimes.com/other-sports/15-year-old-jyoti-kumari-who-cycled-1200-km-carrying-father-will-be-called-for-trial-by-cycling-federation/story-CtuHuFGaeZSSkwnD5QhJrM.html

23 **Bhasin, A. P. (2020, May 16). NDTV.** Retrieved from https://www.ndtv.com/india-news/21-labourers-killed-many-injured-after-their-truck-collides-with-another-truck-in-uttar-pradeshs-auraiya-news-agency-ani-2229668

24 **Kushwaha, T. (2020, May 27). NDTV India.** Retrieved from https://khabar.ndtv.com/news/bihar/bihar-mujaffarpur-a-woman-and-a-child-die-in-train-out-of-hunger-and-heat-2235867

25 **Srivastava, A. (2020, May 28). INDIA TODAY.** Retrieved from https://www.indiatoday.in/india/story/twin-migrant-deaths-at-bihar-s-muzaffarpur-station-puts-railways-and-shramik-trains-in-dock-1682702-2020-05-28

26 **SWAN, (2020, June 8). Watson Insititue.** Retrieved from https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home

27 **(2020, May 19). INDIA TV.** Retrieved from https://www.indiatvnews.com/news/india/mumbai-bandra-railway-station-migrants-gather-shramik-train-red-zone-lockdown-618578

28 **Basu, H. (2020, March 19). THE PRINT.** Retrieved from https://theprint.in/india/modi-announces-janata-curfew-on-22-march-urges-for-resolve-restraint-to-fight-coronavirus/384138/

29 **(2020, March 25). Firstpost.** Retrieved from https://www.firstpost.com/health/pm-narendra-modi-announces-a-national-lockdown-for-21-days-starting-midnight-of-24-25-march-8185961.html

30 **Kapoor, M. (2020, March 27). QUARTZ INDIA.** Retrieved from https://qz.com/india/1826384/indias-coronavirus-lockdown-has-triggered-mass-migration-on-foot/

31 **Ministry of Home Affairs. (2020, March 29).** Retrieved from https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20Order%20restricting%20movement%20of%20migrants%20and%20strict%20enforement%20of%20lockdown%20measures%20-%2029.03.2020_0.pdf

32 **Ministry of Home Affairs. (2020, March 29).** Retrieved from https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20Order%20on%20%20Disaster%20Management%20Act%202005_0.pdf

33 **Ministry of Home Affairs. (2020, April 2020).** Retrieved from https://mib.gov.in/sites/default/files/OM%20dt.1.4.2020%20along%20with%20Supreme%20Court%20Judgement%20copy.pdf

34 **Ministry of Health and Family Welfare, (2020, April 1).** Retrived from https://prsindia.org/files/covid19/notifications/1314.IND_migrants_April1.pdf

35 **Ministry of Home Affairs. (2020, April 29).** Retrieved from https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA_29042020.PDF

36 **(2020, May 4). The economic Times | Politics.** Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/congress-states-units-will-bear-costs-of-railway-journey-of-needy-migrant-workers-sonia-gandhi/articleshow/75526378.cms?from=mdr

37 *द कुइंट कि एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का यह कहना कि वे 85% जितना एक बड़ा हिस्सा प्रवासी मज़दूरों के लिए ट्रांसपोर्ट कि व्यवस्था करने में दे रही है, एक तकनीकी ढकोसला है। एक रेलवे अधिकारी के अनुसार आम तौर पर रेलवे 43% सब्सिडी दे कर यात्रियों से किराए के रूप में 57%*

राशी लेती है। लेकिन यही सब्सिडी बढ़ कर लगभग 85% और मूल किराया 15% हो जाता है जब कोरोना संकट के समय सोशल डिसटेनसिंग का ध्यान रखते हुए सफ़र कर रहे यात्रियों कि संख्या कम हो जाती है। ऐसे में यह साफ़ है कि असल खर्च तो राज्य सरकारों के कंधो पर डाल दिया गया और जो 85% योगदान कि बात है वो केंद्र सरकार कि तरफ से कोई अतिरिक्त लागत नही, सिर्फ सब्सिडी का हिस्सा है।

38 **Ministry of Home Affairs. (2020, May 1).** Retrieved from https://www.mha.gov.in/sites/default/files/Orderdated01052020.pdf

39 **Nandy, A. (2020, May 6). The Quint.** Retrieved from https://www.thequint.com/news/india/who-is-paying-railway-tickets-for-migrant-workers-in-india-centre-85-states-15

40 **Ministry of Finance. (2020, May 14). Press Bureau of India, GOI.** Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1623862

41 **Supreme Court of India. (2020, May 26).** Retrieved from https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/11706/11706_2020_34_42_22217_Order_26-May-2020.pdf

42 **Dutta, A. (2020, May 19). Hindustan Times.** Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/consent-of-destination-states-not-needed-railways-on-running-migrant-trains/story-3Xb6G5BM86UjNywQCgDIxM.html

43 **Supreme Court of India. (2020, June 9).** Retrieved from https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/11706/11706_2020_34_1501_22499_Order_09-Jun-2020.pdf

44 **Supreme Court of India. (2020, May 28).** Retrieved from https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/11706/11706_2020_34_24_22239_Order_28-May-2020.pdf

45 **Kaushal, R. (2020, April 23). News Click.** Retrieved from https://www.newsclick.in/HP-High-Court-In-Favour-Of-Workers-For-COVID-Relief

46 **(2020, April 23). India Legal.** Retrieved from https://www.indialegallive.com/constitutional-law-news/courts-news/himachal-hc-seeks-action-taken-report-from-state-govt-on-covid-related-advisories-from-centre

47 **(2020, May 27). Navbharat Times.** Retrieved from https://navbharattimes.indiatimes.com/state/himachal-pradesh/shimla/himachal-bjp-chief-rajeev-bindal-resigns-after-fire-of-ppe-scam-engulfs-the-party/articleshow/76037120.cms

48 **Bhist, G. (2020, May 2). Hindustan Times.** Retrieved from https://www.hindustantimes.com/cities/migrant-workers-protest-in-bilaspur-demand-facilities-to-return-home/story-6miADVaLWO7h46raT7eUNK.html

49 **Mitra, R. (2020, April 23). The New Indian Express.** Retrieved from https://www.newindianexpress.com/nation/2020/apr/23/pastoral-communities-affected-due-to-lockdown-report-2134149.html

50 **Mohan, L. (2020, April 5). The Tribue.** Retrieved from https://www.tribuneindia.com/news/himachal/taunted-over-coronavirus-spread-after-tablighi-meet-himachal-man-commits-suicide-65978

51 **Iyer, A. (2020, April 17). The Quint.** Retrieved from https://www.thequint.com/news/india/himachal-pradesh-muslim-labourers-attacked-from-jammu-and-kashmir

52 **(2020, April 2). Ahmedabad Mirror.** Retrieved from https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/cover-story/sick-ular-in-times-of-corona/articleshow/74939907.cms?fbclid=IwAR3ZyXbaym_mrWSSCra8aCnEMJorbKNBprn9OeDQMckRq8LxrwZzTl6nGR8

53 **Mishra, D. (2020, April 16). The Wire Hindi.** Retrieved from http://thewirehindi.com/117719/coronavirus-relief-package-extra-ration-pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana/

54 **(2020, May 16). Navoday Times.** Retrieved from https://www.navodayatimes.in/news/khabre/learn-how-to-get-5-kg-food-grains-without-ration-card-8-crore-people-will-benefit-prshnt/146420/#:~:text=%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%

55 **Vijay, (2020, April 17). Punjab Kesari.** Retrieved from https://himachal.punjabkesari.in/himach

al-pradesh/news/6-people-entered-himachal-via-forest-1155558

56 **Khaira, R. (2020, May 25). Huffington Post.** Retrieved from https://www.huffingtonpost.in/entry/covid19-migratory-workers-walk-roads-nirmala-sitaraman-stimulus_in_5ec81213c5b6d613e72dd778?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANFIhvts_R_n9raR-RXJjlHoaLQ7jfgyqUp0gE1leLRuuW_ICOrNV6hkDgU

57 **Ministry of Statistics & Programme Implementation.** Retrieved from http://www.csoisw.gov.in/CMS/UploadedFiles/SummaryResultsforFactorySector_2017_2018.pdf

58 **Tiwari, A. (2020, May 12). News Laundry.** Retrieved from https://www.newslaundry.com/2020/05/12/himachal-pradeshs-journalists-face-firs-harassment-for-reporting-on-government-failures

59 **Gill, G. (2003, May). Seasonal Labour Migration in Rural Nepal: A Preliminary Overview. Overseas Development Institute.**

60 **Prashar, R. (2020, June 11). Down to Earth.** Retrieved from https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/himachal-government-will-bring-laborers-from-nepal-to-save-apple-business-71697

61 **Sharma, A. (2020, June 28). BBC News.** Retrieved from https://www.bbc.com/hindi/india-53206394

62 **(2020, June 30). TCN News.** Retrieved from http://twocircles.net/2020jun30/437801.html?amp

63 **Manta, D. (2020, August 13). The Tribune.** Retrieved from https://www.tribuneindia.com/news/himachal/covid-cases-among-migrants-a-concern-in-himachal-125661

64 **KONIKKARA, V. (2020, May 19). The Caravan.** Retrieved from https://caravanmagazine.in/health/members-pm-covid-19-task-force-say-lockdown-failed-due-to-unscientific-implementation

65 **Salve, A. (2020, May 20). IndiaSpend.** Retrieved from https://www.indiaspend.com/pm-cares-received-at-least-1-27-bn-in-donations-enough-to-fund-over-21-5-mn-covid-19-tests/

HPWS